मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

याचिका क्र.82 /2010

उपस्थित :

राकेश साहनी, अध्यक्ष

के.के. गर्ग, सदस्य (अभियांत्रिकी)

सी.एस. शर्मा, सदस्य (इकॉनामिक्स)

विषय : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र (राभाप्रेके) जबलपुर द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण

राज्य भार प्रेषण केन्द्र, नयागांव, जबलपुर (याचिकाकर्ता) का, अन्यों के अतिरिक्त, निम्न द्वारा भी प्रतिनिधित्व किया गया :

1. श्री एस.के. गायकवाड, अधीक्षण यंत्री (एलडी : ई एण्ड टी)
   राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जबलपुर
2. श्री एस.एस. पटेल, कार्यपालन यंत्री (एलडी : ई एण्ड टी)
   राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जबलपुर

आदेश

(आज दिनांक 31 मई, 2011 को पारित किया गया)

1. यह आदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र अथवा स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर (जिसे एतद् पश्चात् ''राभाप्रेके'' कहा गया है) द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे एतद पश्चात् ''मप्रविनिआ'' या ''आयोग'' कहा गया है) के समक्ष दाखिल की गई याचिका क्रमांक 82, वर्ष 2010 से संबंधित है जो ''वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु लघु–अवधि तथा दीर्घ–अवधि प्रयोक्ताओं द्वारा सेवाओं के उपयोग हेतु भुगतान योग्य शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण'' से संबंधित है। विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 31(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन द्वारा आदेश क्रमांक 2489/13/04 दिनांक 17.5.2004 द्वारा राज्य में विद्युत प्रणाली के समन्वित प्रचालन को सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र (State Load Despatch Centre) को शीर्ष निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसका प्रचालन राज्य पारेषण इकाई (State Transmission Utility) द्वारा किया जाएगा, जिसे एतद् पश्चात् ''रापाई (STU)" कहा गया है।

2. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 32(3) के अनुसार, राभाप्रेके (राज्य भार प्रेषण केन्द्र) विद्युत के राज्यान्तरिक पारेषण में संलग्न विद्युत उत्पादक कम्पनियों तथा अनुज्ञप्तिधारियों से ऐसे शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण कर सकेगा, जैसा कि इसे राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। इसके पश्चात्, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 183 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ''कठिनाईयां दूर किया जाना'' संबंधी आदेश जो पारेषण प्रणालियों के उपयोग हेतु शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित है, दिनांक 8 जून, 2005 को {एसओ क्रमांक 795(ई)} द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार *''राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों से ऐसे शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण कर सकेगा जैसा कि इसे राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।''* तद्नुसार, अब राभाप्रेके प्रभार अनुज्ञप्तिधारियों/ प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतान योग्य हैं।

3. वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु राभाप्रेके के शुल्क तथा प्रभार (टैरिफ आदेश) आयोग द्वारा 20.05.2010 को पारित किये गये। राभाप्रेके द्वारा अपने पत्र क्रमांक 07–05/ईएण्डटी/ 645–VIII/787 दिनांक 27.11.2010 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु राभाप्रेके शुल्क तथा प्रभारों के अनुमोदन हेतु यह याचिका, दिनांक 5 मई, 2006 को जारी तथा दिनांक 19.5.2006 को प्रकाशित तथा अधिसूचित मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम, 2006) तथा अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार दायर की गई है। इसे याचिका क्रमांक 82, वर्ष 2010 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

4. तदोपरांत विषयवस्तु संबंधी याचिका के प्राथमिक परीक्षण पश्चात, वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु राभाप्रेके शुल्क तथा प्रभारों के अनुमोदन के संबंध में आयोग द्वारा पत्र क्रमांक एमपीईआरसी/3524 दिनांक 24.12.2010 द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को विषयवस्तु से संबंधित याचिका में प्रस्तुत की गई अपूर्ण जानकारियां तथा अतिरिक्त जानकारी एक माह के अन्दर प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। याचिकाकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 205 दिनांक 27.01.2011 द्वारा उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु एक माह की समयवृद्धि की मांग की गई। आयोग द्वारा पत्र क्रमांक 397 दिनांक 5.2.2011 द्वारा याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार किया गया तथा एक माह की समयवृद्धि प्रदान की गई। तदोपरांत, याचिकाकर्ता द्वारा जानकारी उनके पत्र क्रमांक 482 दिनांक 07.03.2011 द्वारा प्रस्तुत की गई।

सुनवाई

5.1 आयोग द्वारा पत्र क्रमांक 1017 दिनांक 28.03.2011 द्वारा याचिकाकर्ता को निर्देश दिये गये कि वह विषयवस्तु से संबंधित याचिका की प्रतियां समस्त प्रतिवादियों को एक सप्ताह के भीतर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। आयोग द्वारा उक्त पत्र द्वारा याचिका पर समस्त प्रतिवादियों यथा, एमपी पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल), नर्मदा हायड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएचडीसी), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (नघाविप्रा या एनवीडीए), एमपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल), म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड,(पूर्व क्षेविविकं), म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (पश्चिम क्षेविविकं), म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी (मध्य क्षेविविकं) तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, इंदौर (विशेष आर्थिक परिक्षेत्र–एसईजेड) से उनकी टिप्पणियों/सुझावों की मांग भी की गई। सुनवाई का आयोजन आयोग कार्यालय में दिनांक 3.5.2011 को किया गया।

5.2 विषयांतर्गत, निर्धारित तिथि तक, आयोग को किसी भी प्रतिवादी से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। तथापि, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (मप्रऔकेविनि), इंदौर द्वारा अपने शपथ–पत्र दिनांक 26.4.2011 के माध्यम से अपनी टिप्पणियां निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत की गईं। याचिकाकर्ता ने भी मप्रऔकेविनि, इंदौर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में अपने पत्र क्रमांक 865 दिनांक 29.4.2011 के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

5.3 राज्य भार प्रेषण केन्द्र (राभाप्रेके) की टैरिफ याचिका पर आयोग द्वारा दिनांक 3 मई, 2011 को एक सुनवाई का आयोजन आयोग के कार्यालय में किया गया। सुनवाई में, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, भोपाल तथा मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, जबलपुर के प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा निवेदन किया गया कि राभाप्रेके द्वारा दाखिल की गई याचिका के संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

वार्षिक राजस्व आवश्यकता

6. वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु राभाप्रेके द्वारा दाखिल की गई कुल राजस्व आवश्यकता, पूंजीगत निवेश (Capital investment) को सम्मिलित करते हुए, निम्नानुसार है :

तालिका 1 : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु कुल राजस्व आवश्यकता (राभाप्रेके द्वारा दाखिल किये गये अनुसार) (राशि लाख रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि
01	कर्मचारी लागत	675.15
02	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	90.44
03	मरम्मत तथा संधारण व्यय	215.98
04	अवमूल्यन	0.00
05	ब्याज तथा वित्त प्रभार	9.50
06	पूंजी निवेश पर प्रतिलाभ	0.00
07	आयकर हेतु प्रावधान	0.00
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु कुल राजस्व आवश्यकता		**991.07**

7. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(2)(जी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग द्वारा मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम), 2006 अधिसूचित किया गया है, जिसे समय–समय पर संशोधित किया गया है। इन विनियमों के अनुसार, आयोग द्वारा इस आदेश में राभाप्रेके प्रभारों के अतिरिक्त शुल्क तथा प्रभारों का अवधारण एवं अनुमोदन भी किया गया है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, इस आदेश के अंतर्गत राभाप्रेके की वार्षिक राजस्व आवश्यकता निम्नानुसार अनुमोदित की हैः

तालिका 2 : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (मप्रविनिआ द्वारा अनुमोदित की गई)

स. क्र.	विवरण	राशि (लाख रूपये में)
01	कर्मचारी लागत	675.15
02	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	85.09
03	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	215.98
04	ब्याज तथा वित्त प्रभार	0.00
	कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता	**976.22**
05	**घटायें : अन्य आय {प्रचालन तथा अनुसूचीकरण (O&S) आदि }**	150.00
06	**घटायें : वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु समायोजन (सत्यापन संबंधी)**	174.15
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यकता		**652.07**

8. वार्षिक राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों का आवंटन तथा विभिन्न शुल्कों तथा प्रभारों की प्रयोज्यता इस आदेश के साथ विस्तृत रूप से संलग्न है। आयोग निर्देश देता है कि इस आदेश के अंतर्गत अवधारित राभाप्रेके शुल्क तथा प्रभार दिनांक 1 अप्रैल 2011 से प्रभावशील होंगे तथा दिनांक 31 मार्च, 2012 तक प्रभावशील रहेंगे। याचिकाकर्ता को इस आदेश के कार्यान्वयन हेतु मप्रविनिआ (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 की कण्डिका 1. 30 के अनुसार सात (7) दिवस की सार्वजनिक सूचना देने के पश्चात् आवश्यक कदम उठाने होंगे तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से आगे की अवधि हेतु राभाप्रेके के दीर्घ अवधि खुली पहुंच क्रेताओं, हेतु नवीकरणीय स्त्रोतों को छोड़कर, देयकों की पुनर्गणना करनी होगी तथा आयोग को इस आदेश के परिपालन किये जाने संबंधी सूचना देनी होगी।

9. उपरोक्तानुसार आदेशित किया गया तथा संलग्न विस्तृत कारणों, आधार तथा शर्तों के साथ पढ़ा गया।

हस्ता/–	हस्ता /–	हस्ता/–
(सी.एस. शर्मा)	**(के.के. गर्ग)**	**(राकेश साहनी)**
सदस्य (इकानॉमिक्स)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

स्थान : भोपाल

दिनांक : 31 मई, 2011

विषय सूची

पृष्ठ क्रमांक

अध्याय–1 ..... **08**

वार्षिक स्थाई प्रभार..... **08**

पूंजीगत व्यय **08**

प्रचालन तथा संधारण व्यय **15**

कर्मचारी व्यय **15**

प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय **19**

मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय **22**

अवमूल्यन, पूंजी पर प्रतिलाभ तथा आयकर..... **24**

ब्याज तथा वित्त प्रभार **24**

कार्यकारी पूंजी पर ब्याज **27**

अन्य– ***संवैधानिक करों, उपकरों आदि का भुगतान***..... **27**

अन्य आय **28**

पुनर्मिलान/वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए सत्यापन **32**

वार्षिक राजस्व आवश्यकता की संक्षेपिका..... **35**

वार्षिक राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों का आवंटन..... **36**

शुल्क तथा प्रभारों की संक्षेपिका..... **37**

विविध..... **38**

विलंब भुगतान अधिभार..... **38**

शीघ्र भुगतान किये जाने पर छूट..... **38**

सार्वजनिक आपत्तियां तथा याचिका पर टिप्पणियां..... **38**

अध्याय–2..... **42**

आयोग के दिशा–निर्देश..... **42**

तालिका सूची

पृष्ठ क्रमांक

तालिका 1 :	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु कुल राजस्व आवश्यकता (राभाप्रेके द्वारा दाखिल किये गये अनुसार)	04
तालिका 2 :	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (मप्रविनिआ द्वारा अनुमोदित की गई)	04
तालिका 3 :	आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया पूंजीगत व्यय (लाख रूपये में)	08
तालिका 4 :	प्रचालन एवं संधारण व्यय (लाख रूपये में)	15
तालिका 5 :	राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दावा किये गये कर्मचारी व्ययों के विवरण (राशि लाख रूपये में)	18
तालिका 6 :	राभाप्रेके द्वारा दावा किये गये प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों के विवरण (लाख रूपये में)	21
तालिका 7 :	राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दावा किये गये मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों के विवरण (लाख रूपये में)	23
तालिका 8 :	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय	23
तालिका 9 :	अन्य आय (राभाप्रेके द्वारा दाखिल किये गये अनुसार)	29
तालिका 10 :	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सार	35
तालिका 11 :	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु दीर्घ–अवधि खुली पहुंच क्रेताओं हेतु वार्षिक राभाप्रेके प्रभार	37
तालिका 12 :	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विभिन्न राभाप्रके शुल्कों व प्रभारों की प्रयोज्यता एवं उद्ग्रहण	37

अध्याय –1

वार्षिक स्थाई प्रभार (Annual Fixed Charges)

पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण :

1.1 याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण निम्नानुसार है :

निर्माणाधीन कार्य जिनका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान किया जाना है, को याचिका में सारबद्ध किया गया है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2013–14 की अवधि हेतु पांच वर्षीय चक्र–अनुक्रम (rolling) पूंजीगत व्यय योजना, आयोग द्वारा आदेश दिनांक 26.11.2009 द्वारा पूर्व में अनुमोदित की जा चुकी है। प्रस्तावित पूंजीगत व्यय की पूर्ति राज्य भार प्रेषण केन्द्र (राभाप्रेके) की पूंजीगत व्यय निधि (Capex Fund) से की जाएगी।

आयोग का विश्लेषण

1.2 आयोग द्वारा पूर्व में ही राभाप्रके की पंचवर्षीय पूंजीगत व्यय योजना को वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश दिनांक 26.11.2009 के अंतर्गत ही अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है, जिसके विशिष्ट बिन्दुओं को निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

''आयोग द्वारा पाया गया है कि राभाप्रेके ने वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 की पूंजीगत व्यय योजना में पुराने फर्नीचर को बदले जाने के प्रावधान को एक–मुश्त आधार पर सम्मिलित किया है। इस प्रकार का सामान्य प्रावधान पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) का भाग नहीं होना चाहिए वरन् इस पर व्यय संचालन तथा संधारण व्ययों (O&M Expenses) के रूप में किया जा सकता है। आयोग ने इस सामान्य प्रावधान को पूंजीगत व्यय योजना का भाग नहीं माना है। '' राभाप्रेके के प्रस्तावित पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत व्यय योजना का अनुमोदन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 3 : आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया पूंजीगत व्यय (राशि लाख रूपये में)

स.क्र.	परियोजना/योजना/कार्य का विवरण	वर्ष हेतु निधि की प्रस्तावित आवश्यकता (लाख रूपये में)				
		2009-10	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
ए	**निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP)**					
1.	राभाप्रके हेतु पीएबीएक्स	20.00	--	--	--	--
2.	राभाप्रेके कार्यालय हेतु वातानुकूलित संयंत्र	65.00	--	--	--	--
3.	सीमा दीवार (Boundary wall)	19.80	--	--	--	--
उप–योग ए (1) से ए (3)		**104.80**	--	--	--	--
बी	**प्रस्तावित निर्माण कार्य (Proposed Capital Works)**					

1.	अग्नि चेतावनी प्रणाली (Fire Alarm System)	22.42	--	--	--	--
2.	ध्वनि अभिलेखन प्रणाली (Voice Recording System)	3.60	--	--	--	
3.	इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली	6.30	--	--	--	--
4.	अतिरिक्त कार्यालय	2.50	--	--	--	--
5.	कार्यालय उपकरण	--	6.00	--	--	--
6.	स्लैब तथा नवीनीकरण	--	10.90	--	--	--
7.	कांफ्रेंस प्रणाली	--	10.14	--	--	--
8.	वैब सर्वर तथा वैबसाईट	--	8.50	--	--	--
9.	अतिरिक्त पार्किंग	--	--	4.00	--	--
10.	डेस्क तथा आगंन्तुक विश्राम कक्ष	--	--	2.00	--	--
11.	कृत्रिम छत (False ceiling)	--	--	10.00	10.00	--
12.	*पुराने फर्नीचर की प्रतिस्थापना*	--	--	--	*15.00*	*15.00*
उप–योग बी(1) से बी(12)		**34.82**	**35.54**	**16.00**	**25.00**	**15.00**
(ए + बी) का योग		**139.62**	**35.54**	**16.00**	**25.00**	**15.00**
कुल अनुमोदित पूंजीगत व्यय		**139.62**	**35.54**	**16.00**	**10.00**	**0.00**

1.3 आयोग द्वारा उपरोक्त दर्शाये गये पूंजीगत व्यय का सिद्धान्ततः अनुमोदन निम्न शर्तों के अध्यधीन किया गया है :

1.3.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र (राभाप्रेके) को पूंजीगत व्यय निधि का उचित प्रकार से लेख्यांकित करना होगा तथा पूंजीगत व्यय निधि पर बैंक से अर्जित किये गये ब्याज को भी लेख्यांकित करना होगा।

1.3.2 राभाप्रेके को मुख्य कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करना होगा ताकि राभाप्रेके को सेवाओं में सुधार द्वारा यथोचित लाभ मिल सके। अन्य हितधारकों (Stakeholders) को भी इन कार्यों से समयबद्ध रूप से लाभ प्राप्त होने चाहिए। अतएव, राभाप्रेके को यथासम्भव सर्वोत्तम विधि द्वारा तथा अनुमोदित वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत कार्यों को समयबद्ध रूप से निष्पादित किये जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।

1.3.3 राभाप्रके ने अधिकांश निर्माण कार्य (Capital Works) पूंजीगत व्यय (Capex) योजना के प्रथम वर्ष, अर्थात वर्ष 2009–10 में ही निष्पादित किया जाना निर्धारित किया है। राभाप्रके को सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित अवधि से अधिक समय लगने पर, यदि कोई हो, तो वह लागत वृद्धि में परिणत नहीं होगा। राभाप्रेके को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य निष्पादन में निर्धारित समयावधि से अधिक समय लगने के कारण लागतों में होने वाली कोई भी वृद्धि, बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप तथा भारत स्थित अन्य राज्य भार प्रेषण केन्द्रों, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों के अनुरूप होनी चाहिए। आयोग शुल्क तथा प्रभारों के अवधारण के प्रयोजन से अनुचित बढ़ी हुई किसी भी लागत को अनुज्ञेय नहीं करेगा।

1.3.4 राभाप्रेके द्वारा वस्तुओं, उपकरणों, कलपुर्जो, की कीमत संस्थापना (Installation)/कार्यशील (commissioning) किये जाने संबंधी व्यय, माल ढुलाई का भाड़ा आदि हेतु सामग्री प्रदायकर्ताओं/विक्रेताओं (vendors) द्वारा बोली गई/प्रभारित की गई दरों को उचित रूप से विश्लेषित तथा सत्यापित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके द्वारा वहन की गई लागत, अच्छे गुणवत्ता कार्य हेतु कीमत न्यूनतम संभव विद्यमान बाजार दर के अनुरूप है।

1.3.5 राभाप्रेके को भविष्य में शुल्कों तथा प्रभारों के अवधारण हेतु प्रत्येक कार्य की अद्यतन भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का प्रतिवेदन राभाप्रेके द्वारा दाखिल की गई याचिका के साथ सहपत्र के रूप में संलग्न करना होगा।

1.3.6 यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि योजनाओं का निष्पादन प्रभावित न हो तथा इसके साथ ही प्रस्ताव अनुसार आधार लागत पर अधिप्राप्त की जा रही सामग्री का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है, किसी अतिरिक्त वित्तीय दायित्व के परिवर्जन हेतु, राभाप्रेके को समयबद्ध प्रक्रिया नियोजित किये जाने का परामर्श दिया जाता है।

1.3.7 याचिकाकर्ता के अनुसार, इस राशि की वित्तीय व्यवस्था आंतरिक स्त्रोतों से, अर्थात् शुल्क तथा प्रभारों के माध्यम से की जाएगी। आयोग वित्तीय वर्ष 10 हेतु पूंजीगत व्यय रूपये 139.62 लाख के प्रस्तावित स्तर पर अनुमोदित करता है। आयोग द्वारा राभाप्रेके हेतु योजना के विरूद्ध वास्तविक व्यय का अनुवीक्षण किया जाएगा। अनुवर्ती वर्षों हेतु पूंजीगत व्यय का पुनर्विलोकन तथा अनुमोदन तत्संबंधी टैरिफ आदेश के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा।

1.4 आयोग द्वारा पत्र क्रमांक 3524 दिनांक 24.12.2010 द्वारा, अधूरी जानकारियों के निराकरण के साथ–साथ, याचिकाकर्ता से निम्न जानकारी भी चाही गई :

''वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु याचिका के पृष्ठ 45 पर दाखिल किये गये परिशिष्ट सीपी–1 में दर्शाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान रूपये 104.80 लाख के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

यह पाया गया कि आयोग द्वारा सिद्धान्ततः वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु पूंजीगत व्यय योजना दिनांक 26.11.2009 को पारित की गई है जिसमें वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु रूपये 139.62 लाख की पूंजीगत व्यय योजना भी शामिल है। तथापि, याचिका के पैरा 7.4 पृष्ठ 7 पर प्रस्तुत जानकारी में दर्शाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान केवल रू. 45.75 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु आयोग के राज्य भार प्रेषण केन्द्र संबंधी आदेश दिनांक 26.11.2009 में उल्लेखित सात शर्तों के परिपालन के संबंध में राभाप्रेके द्वारा जानकारी दाखिल की जाए।''

1.5 आयोग द्वारा उपरोक्त पूंजीगत व्यय योजना के संबंध में पृच्छा के परिपालन में, याचिकाकर्ता ने पत्र क्रमांक 482 दिनांक 7.3.2011 द्वारा निवेदन किया है कि *''आयोग द्वारा दिनांक 26.11.2009*

वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु राभाप्रेके के शुल्क तथा प्रभारों संबंधी आदेश में उल्लेखित शर्तों के परिपालन के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :

(ए) राभाप्रेके केपैक्स निधि के संबंध में उचित लेखे वर्षवार आय तथा व्यय संबंधी विवरण राभाप्रेके के अंकेक्षित लेखे के अनुसार संधारित कर रहा है तथा इन्हें पैरा (ix) पर दर्शाया गया है।

(बी) राभाप्रेके की अनुमोदित पूंजीगत व्यय योजना में राभाप्रेके द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली पूंजीगत कार्यों की सूची वर्षवार वांछित पूंजी की आवश्यकता दर्शाते हुए शामिल की गई है। पूंजीगत व्यय योजना की समीक्षा प्रति वर्ष की जाती है तथा इसे याचिका के साथ पुनः प्रस्तुत किया जाता है । कार्यों की सर्वोत्तम संभावित विधि से तथा अनुमोदित वित्तीय संसाधनों से सम्पन्न किया जाता है।

(सी) कार्यों के अति आवश्यक होने पर निर्भर, कार्यों की अनुसूची की समीक्षा की गई है तथा इसे याचिका के परिशिष्ट सीपी–1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

(डी) सामग्री, उपकरणों, कलपुर्जो का क्रय, कार्यों की स्थापना तथा इन्हें क्रियाशील किया जाना, आदि दर–पूछताछ (enquiry), खुली निविदा अथवा स्वामित्व (proprietary) सामग्री वाले प्रकरणों में मूल उपकरण विनिर्माता (या Original Equipment Manufacturer-OEM) के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार सम्पन्न किया गया कार्य अच्छी गुणवत्ता का होता है तथा बाजार में प्रचलित न्यूनतम संभावित दरों पर निष्पादित किया जाता है।

(ई) प्रत्येक कार्य की अद्यतन तथा वित्तीय प्रगति को याचिका के परिशिष्ट सीपी–1 में दाखिल किया गया है तथा इसे प्रपत्र एफ 15 में भी प्रस्तुत किया गया है।

(एफ) पूंजीगत कार्यों को समयबद्ध रूप से आयोजित तथा प्रक्रियाबद्ध किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं का निष्पादन प्रभावित न हो तथा इनकी समयबद्ध उपयोगिता भी सुनिश्चित की जा सके।

(जी) राभाप्रेके के पूंजीगत कार्यों की वित्तीय व्यवस्था आंतरिक स्त्रोतों से की जाती है, अर्थात् संचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों (Operation and Scheduling Charges) की 50 प्रतिशत राशि में से। वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2014–15 की पूजीगत व्यय योजना याचिका के परिशिष्ट सीपी–1 बतौर प्रस्तुत की गई है।''

1.6 दिनांक 3.5.2011 को आयोजित सुनवाई के दौरान, आयोग द्वारा याचिकाकर्ता से दिनांक 1.4.2009 से दिनांक 31.3.2011 तक की पूंजीगत योजना का अद्यतन प्रगति संबंधी प्रतिवेदन, अनुमोदित पूंजीगत व्यय योजना के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये तथा यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश भी दिये गये कि विचाराधीन याचिका के अंतर्गत पूंजीगत व्यय योजना प्रस्ताव आयोग द्वारा पूर्व में अनुमोदित योजना के समुपयुक्त हैं।

1.7 राभाप्रेके द्वारा अपने पत्र दिनांक 966 दिनांक 13.5.2011 में वांछित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत की गई :

परियोजनावार/योजनावार पूंजीगत व्यय

(समस्त आंकड़े लाख रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	अनुमोदित लागत	विलंब का कारण	वर्ष के दौरान वास्तविक/अनंतिम व्यय	शेष राशि (अनुमोदित व्यय)
अ.	**वित्तीय वर्ष 2009–10**				
1	राभाप्रेके तथा उप–राभाप्रेके हेतु पीएबीएक्स प्रदान करना	20.00	अन्तिम परीक्षण तथा क्रियाशील किया जाना वित्तीय वर्ष 2010–11 में पूर्ण किया गया	0.00	
2	विद्यमान वातानुकुलून संयंत्र को बदला जाना	65.00	कार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 के शीतकाल में प्रारंभ किया गया	0.00	
3	राभाप्रेके भवन के चारों ओर सीमा दीवार का निर्माण कार्य	19.80	कार्य की समाप्ति की अवधि वित्तीय वर्ष 2010–11 के प्रारंभ तक बढ़ाई गई	0.00	
4	अग्नि चेतावनी प्रणाली (Fire Alarm System) को बदला जाना	22.42	निविदा संबंधी कार्यवाही वित्तीय वर्ष 2010–11 में पूर्ण की गई	0.00	
5	ध्वनि अभिलेखन प्रणाली (Voice recording System) प्रदान करना	3.60	अन्तिम परीक्षण तथा क्रियाशील किया जाना वित्तीय वर्ष 2010–11 में पूर्ण किया गया	0.00	
6	इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली तथा धातु–संसूचक (Meter Detectors) प्रदान करना	6.30	कार्य वित्तीय वर्ष 2011–12 तक स्थगित किया गया	0.00	
7	राभाप्रेके के लिये कार्यालय फर्नीचर का प्रावधान	2.50	परिसम्पत्तियों की निष्क्रियता को रोकने के लिये कार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 में पूर्ण किया गया	0.00	
	उप–योग	**139.62**		**0.00**	**139.62**
ब.	**वित्तीय वर्ष 2010–11**				
			पूर्व वर्ष से निधि का प्रारंभिक शेष	139.62	
			वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुमोदित की गई निधि	35.54	
1	राभाप्रेकेतथा उप–राभाप्रेके हेतु पीएबीएक्स प्रदान करना	20.00	कार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान पूर्ण किया गया	18.30	
2	विद्यमान वातानुकुलून संयंत्र को बदला जाना	65.00	कार्य प्रगति पर है तथा इसे वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पूर्ण कर लिया जाएगा	0.00	
3	राभाप्रेके भवन के चारों ओर सीमा दीवार का निर्माण कार्य	19.80	कार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान पूर्ण किया गया	19.80	

4	अग्नि चेतावनी प्रणाली (Fire Alarm System) को बदला जाना	9.56	कार्य वित्तीय वर्ष 2011–12 में पूर्ण कर लिया जाएगा	0.00	
5	ध्वनि अभिलेखन प्रणाली (Voice recording System) प्रदान करना	3.60	कार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान पूर्ण किया गया	3.60	
6	राभाप्रेके कार्यालय के लिये फर्नीचर का प्रावधान	2.50	कार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान पूर्ण किया गया	2.50	
7	कार्यालय उपकरण, कंप्यूटर, प्रिन्टर, आदि प्रदान करना	6.00	कार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान पूर्ण किया गया	6.00	
	उप–योग	**126.46**		**50.20**	**124.96**

सी	वित्तीय वर्ष 2011–12				
			पूर्व वर्ष से निधि का प्रारंभिक शेष	124.96	
			वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुमोदित राशि	16.00	
1	बैटरी चार्जर प्रदान करना	1.50	कार्य वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पूर्ण कर लिया जाएगा	1.50	
2	इलेक्ट्रानिक सुरक्षा प्रणाली तथा धातु–संसूचक(Metal Detectors) प्रदान करना	6.30	कार्य वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पूर्ण कर लिया जाएगा	6.30	
3	स्लैब का निर्माण तथा राभाप्रेके भवन का नवीनीकरण	10.90	कार्य संयंत्र के पूर्ण होने पर तथा कृत्रिम छत के पूर्ण होने पर प्रारंभ किया जाएगा	0.00	
4	चट्टान की कटाई का कार्य तथा सीमा दीवार के समीप समतलीकरण कार्य	3.00	कार्य वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पूर्ण कर लिया जाएगा	3.00	
5	फायर हाइड्रेंट, नलकूप खनन तथा पम्प की स्थापना का कार्य, आदि	10.00	कार्य वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पूर्ण कर लिया जाएगा	10.00	
6	राभाप्रेके में कांफ्रेन्स प्रणाली स्थापित करना	10.14	कार्य वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पूर्ण कर लिया जाएगा	10.14	
7	वैबसर्वर, वैबसाईट तथा वैबसमर्थित आंकड़ा आधार (डैटाबेस) प्रदान करना	8.50	कार्य वित्तीय वर्ष 2012–13 में पूर्ण कर लिया जाएगा	0.00	
8	राभाप्रेके में अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था का प्रावधान	4.00	कार्य वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पूर्ण कर लिया जाएगा	4.00	
9	राभाप्रेके में स्वागत डेस्क तथा आगन्तुक विश्राम कक्ष का निर्माण	2.00	कार्य वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पूर्ण कर लिया जाएगा	2.00	
10	कृत्रिम छत तथा विद्युतीकरण प्रणाली का नवीनीकरण	10.00	कार्य वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पूर्ण कर लिया जाएगा	10.00	
	उप–योग	**66.34**			
*	वर्तमान वातानुकुलन संयंत्र को बदला जाना	65.00	कार्य प्रगति पर है तथा इसे वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पूर्ण कर लिया जाएगा	65.00	

*	अग्नि चेतावनी प्रणाली को बदला जाना	9.56	कार्य प्रगति पर है तथा इसे वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पूर्ण कर लिया जाएगा	9.56	
		140.90		**121.50**	**19.46**

1.8 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पूंजीगत कार्य उक्त विशिष्ट कार्य की अनुमानित लागत के अंतर्गत पूर्ण किये जा चुके हैं। राभाप्रेके के प्रस्तुतिकरण से यह प्रकट होता है कि यद्यपि राभाप्रेके की वित्तीय वर्ष 2010–11 रू. 139.62 करोड़ की पूंजीगत व्यय योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई थी, परन्तु वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान इस योजना पर कोई वास्तविक व्यय नहीं किया गया । इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान राभाप्रेके के रू. 126.46 लाख के लक्ष्यांकित कार्यों के विरूद्ध केवल रू. 50.20 लाख की लागत के कार्य ही पूर्ण हो पाये। अतएव, रू. 124.96 लाख की लागत के कार्य वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में अंतरित कर दिये गये हैं। राभाप्रेके द्वारा निवेदन किया गया है कि इनमें से कुछ कार्य लंबित रहेंगे तथा ये आगामी वर्ष के दौरान पूर्ण किये जाएंगे।

1.9 राभाप्रेके ने अपने पत्र क्रमांक 966 दिनांक 13.5.2011 द्वारा निवेदन किया है कि *''वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान पूंजीगत व्यय शून्य था तथा रू 26.86 लाख का पूंजीगत व्यय स्थाई परिसम्पत्तियां (Fixed Assets-FA) + निर्माण कार्य प्रगति पर (Capital Work in Progress-CWIP) + अग्रिम (Advance) जिसका उल्लेख उत्तर के पृष्ठ 8 पर किया गया है, का विभाजन स्थाई परिसम्पत्ति (शून्य) + निर्माण कार्य प्रगति पर (शून्य) + अग्रिम (रू. 26.86 लाख) है।''* राभाप्रेके को बकाया अग्रिम राशि के सम्पूर्ण विवरण आगामी याचिका दायर करते समय प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

1.10 राभाप्रेके की वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2013–14 हेतु पूंजीगत व्यय योजना को आयोग द्वारा राभाप्रेके के वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश के अंतर्गत अनुमोदित किया गया था। इस आदेश के अंतर्गत भी इसी पूंजीगत व्यय योजना, जैसा कि आयोग द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है, पर विचार किया गया है।

1.11 मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम), 2006 के विनियम 10 के परिपालन में,राभाप्रेके ने निवेदन किया है कि प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों को क्षेत्रीय लेखाधिकारी, एमपीपीटीसीएल कार्यालय के एसएलडीसी लेखा में जमा किया जाता है। पूंजीगत व्यय योजना हेतु चिन्हांकित की गई निधि पर अर्जित ब्याज हेतु प्रस्तुत की गई विस्तृत जानकारी से ज्ञात होता है कि राभाप्रेके के पास दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति में रू. 113.51 लाख का संचयी शेष (cumutative balance) था। दिनांक 31.3.2009 की स्थिति में यह राशि रू. 64.58 लाख थी। याचिकाकर्ता को आयोग द्वारा अनुमोदित

पूंजीगत व्यय योजना के परिप्रेक्ष्य में, वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु राभाप्रेके प्रभारों के अवधारण हेतु याचिका प्रस्तुत करते समय, कार्यों को निर्धारित समय के अंतर्गत पूर्ण न किये जाने संबंधी कारण दर्शाते हुए, वर्षवार पूंजीगत व्यय के समस्त विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं।

1.12 आयोग की अभ्युक्ति है कि राभाप्रेके के पास पूंजीगत व्यय की आपूर्ति हेतु पर्याप्त निधि उपलब्ध है परन्तु इसके बावजूद प्रस्तावित कार्य समयावधि के अंतर्गत पूर्ण नहीं किये गये हैं। अतएव आयोग पुनः राभाप्रेके को निर्देश देता है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु टैरिफ आदेश के अंतर्गत पूंजीगत व्यय योजना को सिद्धांन्ततः अनुमोदन प्रदान करते समय आयोग द्वारा उल्लेखित शर्तो का कड़ाई से पालन किया जाए।

प्रचालन तथा संधारण (Operation & Maintenance - O & M) व्यय

1.13 प्रचालन एवं संधारण (O & M) व्ययों में कर्मचारी व्यय, प्रशासनिक एवं सामान्य (A & G) व्यय तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण (R & M) व्यय शामिल होते हैं। पूर्व के वर्षों में वास्तविक प्रचालन तथा संधारण व्ययों की अद्यतन स्थिति तथा जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा इसे वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु दाखिल किया गया है, निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 4 : प्रचालन एवं संधारण व्यय (लाख रूपये में)

स.क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08	वित्तीय वर्ष 09	वित्तीय वर्ष 10	वित्तीय वर्ष 11	वित्तीय वर्ष 12
		वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	जैसा कि इसे टैरिफ आदेश में अनुज्ञेय किया गया है	राभाप्रेके द्वारा प्रस्तावित
1	कर्मचारी व्यय	216.22	249.41	328.81	454.98	557.46	675.15
2	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	14.86	13.59	26.86	21.59	82.10	90.44
3	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	8.41	7.46	24.97	106.10	189.35	215.98
	योग	**239.49**	**270.45**	**380.64**	**582.67**	**828.91**	**981.57**

कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

1.14 वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु कर्मचारी लागत की गणना राभाप्रेके तथा उप–राभाप्रेके के अंतर्गत दिनांक 31.10.2010 की स्थिति में कार्यरत कर्मचारी संख्या (Working Strength) तथा संविदा आधार पर नियुक्त किये गये कार्यपालिक वित्त (Executive Finance) की कर्मचारी लागत को जोड़कर की गई है। इस प्रकार, कर्मचारी लागत की कुल गणना रू. 675.15 लाख की गई है।

अन्य रिक्तपदों, सेवानिवृत्ति पर देय टर्मिनल प्रसुविधाओं (Termunal benefits) (जैसे कि पेंशन, उपादान तथा सेवानिवृत्ति पर देय अर्जित अवकाश नगदीकरण) पर विचार नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा कर्मचारी व्ययों के प्रक्षेपण में निम्न अवधारणाएँ की गई हैं :

(i) *चूंकि रिक्त पदों के प्रावधान के संबंध में विचार नहीं किया गया है, इस हेतु आवश्यक समायोजन, बाद में किसी तिथि को किया जाएगा, यदि आगामी वर्ष में रिक्त पदों की पूर्ति कर ली जाती है।*

(ii) *मप्रराविमं हेतु वर्तमान दर माह अक्टूबर, 2010 से प्रभावशील, 35 प्रतिशत है तथा केन्द्रीय शासन के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर माह जुलाई, 2010 से प्रभावशील 45 प्रतिशत है। उपरोक्त तथा वर्ष 2011–12 के दौरान मंहगाई भत्ते में सामान्य वृद्धि के आधार पर मंहगाई भत्ते की दर प्रथम छः माह हेतु 45 प्रतिशत तथा शेष छः माह हेतु 51 प्रतिशत मानी गई है।*

(iii) *आगामी वर्ष हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रति कर्मचारी की दर रू. 450 प्रतिमाह मानी गई है।*

(iv) *माह जनवरी, 2006 से माह अगस्त 2008 तक के वेतन पुनरीक्षण की बकाया राशि का भुगतान माह अगस्त, 2010 से 60 बराबर किस्तों में किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान देय बकाया राशि (12 किस्तों में) को प्रत्येक कर्मचारी को वैयक्तिक रूप से भुगतान की जा रही वास्तविक किस्तों के आधार पर माना गया है। ऐसे कर्मचारी, जो वर्ष 2010–11 के दौरान अधिवार्षिकी वय पूर्ण कर लेंगे, उनके लिये समस्त बकाया किस्तों (53) के भुगतान को एकल समय भुगतान माना गया है।*

(v) *प्रशिक्षण व्ययों से संबंधित प्रक्षेपण, स्काडा (SCADA)/ईएमएस (EMS) ''मैनपावर सर्टिफिकेशन, इन्सेंटिव्स एण्ड रिंग फैसिंग'' समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुसार संसूचना, कंप्यूटर प्रणालियों तथा प्रणाली प्रचालकों के प्रशिक्षण हेतु, प्रशिक्षण अर्हताओं पर विचार करते हुए, किये गये हैं।*

(vi) *आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष 10–11 हेतु राभाप्रेके शुल्क तथा प्रभारों से संबंधित आदेश में अनुग्रह राशि/बोनस हेतु प्रावधान अनुज्ञेय नहीं किये गये हैं, अतएव वित्तीय वर्ष 11–12 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किये गये हैं।*

(vii) *मप्रविनिआ के वित्तीय वर्ष 2006–07 के राभाप्रेके शुल्क तथा प्रभारों संबंधी याचिका संबंधी आदेश के दिशा–निर्देशों के अनुरूप वार्षिक राजस्व आवश्यकता में टर्मिनल प्रसुविधाओं पर विचार नहीं किया गया है।*

आयोग का विश्लेषण

1.15 राभाप्रेके द्वारा दावा किये गये कुल रू. 675.15 लाख के कर्मचारी व्ययों में मूलवेतन+ ग्रेड पे हेतु रू. 419.91 लाख की राशि शामिल की गई है। आयोग द्वारा पत्र क्रमांक 3524 दिनांक 24.12.2010 द्वारा महंगाई भत्ते में वित्तीय वर्ष 2009–10 में रू. 80.53 लाख से बढ़कर वित्तीय

वर्ष 2011–12 में रू. 189.10 लाख के प्रक्षेपित भुगतान में 230 प्रतिशत वृद्धि हेतु तथा बकाया राशि के प्रक्षेपित भुगतान में प्रचुर वृद्धि के संबंध में, विस्तृत कारण भी चाहे गये थे। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वेतन संबंधी विवरण, जिनका भुगतान किया जाना प्रक्षेपित किया गया है, के विवरण भी चाहे गये थे। राभाप्रेके द्वारा अपने पत्र क्रमांक 482 दिनांक 7.3.2011 में निवेदन किया गया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू. 675.15 लाख की कर्मचारी लागत की गणना दिनांक 31 अक्टूबर, 2010 को कर्मचारियों की पदस्थापना के आधार पर की गई है।

1.16 राभाप्रेके द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू. 189.10 लाख के महंगाई भत्ते के प्रक्षेपणों के बारे में भी औचित्य निम्नानुसार प्रस्तुत किया है :

- *रू. 80.53 की महंगाई भत्ते की राशि वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु किये गये भुगतान की वास्तविक राशि है। वेतनमानों का पुनरीक्षण दिनांक 1.1.2006 से प्रभावशील किया गया है तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार, मय सितम्बर 2008 से जुलाई 2009 की बकाया राशि की किस्तों का भुगतान, माह अगस्त 2009 से प्रारंभ किया गया। पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी, 2006 से 31 अगस्त, 2008 तक महंगाई भत्ते का प्रतिशत शून्य प्रतिशत, दिनांक 1 सितंबर, 2008 से 30 जून, 2009 तक 12 प्रतिशत, दिनांक 1 जुलाई, 2009 से 31 अक्टूबर, 2009 तक 16 प्रतिशत, दिनांक 1 नवंबर, 2009 से 31 दिसंबर, 2009 तक 19 प्रतिशत तथा दिनांक 1 जनवरी, 2010 से 31 मार्च 2010 तक 22 प्रतिशत था। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु उल्लेखित महंगाई भत्ते की वास्तविक राशि में महंगाई भत्ते की राशि मार्च, 2009 से अगस्त 2009 तक पूर्व पुनरीक्षित आधार पर तथा शेष अवधि हेतु पुनरीक्षित वेतनमान पर महंगाई भत्ते की प्रतिशत राशि, जो 12 प्रतिशत से लेकर 22 प्रतिशत तक है, भी शामिल की गई है।*
- *रू. 107.03 लाख की महंगाई भत्ते की राशि, जैसा कि यह आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुज्ञेय की गई है, (मूल+ग्रेड) वेतन का लगभग 27 प्रतिशत है, जबकि महंगाई भत्ते की दर 1 अप्रैल, 2010 से 30 जून, 2010 के मध्य 25 प्रतिशत, 1 जुलाई, 2010 से 30 सितंबर, 2010 के मध्य 27 प्रतिशत थी तथा चालू महंगाई भत्ते की दर (माह अक्टूबर, 2010 से प्रभावी) 35 प्रतिशत है। इस प्रकार, चालू वर्ष के दौरान, महंगाई भत्ते की वास्तविक राशि रू. 107.03 लाख की अनन्तिम राशि से बढ़ भी सकती है।*
- *वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू.189.10 लाख की प्रक्षेपित की गई महंगाई भत्ते की राशि की गणना मप्रराविमं के कर्मचारियों को लागू महंगाई भत्ते की वर्तमान दर के अनुसार की गई है (अर्थात् माह अक्टूबर, 2010 से 35 प्रतिशत की दर से) तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भुगतान की जा रही महंगाई भत्ते की दर (माह जुलाई 2010 से प्रभावी 45 प्रतिशत की दर से) तथा तदनुसार वर्ष 2011–12 के दौरान महंगाई भत्ते में सामान्य वृद्धि के अनुसार। इस महंगाई भत्ते का प्रक्षेपण प्रथम छः माह हेतु 45 प्रतिशत की दर से तथा शेष छः माह हेतु 51 प्रतिशत की दर से किया गया है।*

- *चूंकि वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु महंगाई भत्ते के प्रेक्षपण में हुई वृद्धि उपरोक्त कारणों से है, अतएव रू. 189.10 लाख के महंगाई भत्ते के प्रक्षेपण युक्तियुक्त हैं।*
- *माह जनवरी, 2006 से अगस्त, 2008 तक की अवधि के पुनरीक्षित वेतन की बकाया राशि का भुगतान माह अगस्त, 2010 से 60 बराबर किस्तों में किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान देय बकाया राशि (12 किस्तों में) का भुगतान वैयक्तिक कर्मचारी को भुगतान की जा रही वास्तविक किस्तों के अनुसार विचार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान अधिवार्षिकी वय प्राप्त करने वाले कर्मचारियों हेतु बकाया राशि की शेष समस्त किस्तों (53) को एकल समय भुगतान माना गया है।*

1.17 आयोग द्वारा पाया गया है कि याचिका में टर्मिनल प्रसुविधाओं, जैसे कि भविष्य निधि (PF), उपादान (Gratuity) तथा पेंशन हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा अवकाश नगदीकरण, अवकाश यात्रा भत्ता, अधिसमय (ओवर टाईम), प्रोत्साहनों, अनुग्रह राशि (ex-gratia)/बोनस आदि बावत् कोई दावा नहीं किया गया है। किसी प्रकार के कर्मचारी व्यय को भी पूंजीकृत नहीं किया गया है।

1.18 वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुज्ञेय किये गये कर्मचारी संबंधित व्ययों के विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु इनके पूर्वानुमानों को निम्न तालिका में सारबद्ध किया गया है :

तालिका 5 : राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दावा किये गये कर्मचारी व्ययों के विवरण (राशि लाख रूपये में)

विवरण	वर्ष 2010–11 (टैरिफ आदेश में अनुज्ञेय किये गये अनुसार)	वर्ष 2011–12 (राभाप्रेके द्वारा किये गये दावे के अनुसार)
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वास्तविक कार्यरत कर्मचारी संख्या	90	95
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में स्वीकृत कर्मचारी संख्या	135	135
मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त वेतन, मुख्य भत्ते आदि	537.64	624.73
अन्य भत्ते (चिकित्सा, यात्रा, बकाया राशि, कामगार मुआवजा आदि)	14.12	47.32
प्रशिक्षण तथा कर्मचारी कल्याण व्यय	5.70	3.10
कर्मचारियों को देय बोनस/अनुग्रह राशि	0.00	0.00
सेवानिवृति पश्चात् देय टर्मिनल प्रसुविधाएं/ अर्जित अवकाश नगदीकरण	0.00	0.00
सकल कर्मचारी व्यय	**557.46**	**675.15**
(घटायें) : पूंजीकृत किये गये व्यय	0.00	0.00
शुद्ध कर्मचारी व्यय	**557.46**	**675.15**

1.19 आयोग द्वारा वेतन संबंधी विवरणों का सूक्ष्म परीक्षण करते समय यह पाया गया कि विभिन्न मदें जिनसे संबंधित प्रावधान आयोग द्वारा अस्वीकार कर दिये गये थे, राभाप्रेके द्वारा प्रस्तुत की गई

वर्तमान याचिका में इनके लिये कोई भी दावे नहीं किये गये हैं। **अतएव, आयोग वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु याचिकाकर्ता द्वारा किये गये दावे के अनुसार रूपये 675.15 लाख की कर्मचारी लागत को अनुमोदन प्रदान करता है।**

प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (Administrative & General Expenses)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

1.20 वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा उप राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय रू. 90.44 लाख प्रक्षेपित किये गये हैं। राभाप्रेके द्वारा निवेदन किया गया है कि आगामी वर्ष हेतु प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों की गणना निम्न मदों को मान कर की गई है :

(i) ***बीमा (Insurance)*** *: वर्तमान में राभाप्रेके के भवन तथा उपकरण बीमाकृत नहीं किये गये हैं, परन्तु अब इनके बीमा हेतु प्रावधान किया गया है।*

(ii) ***दूरभाष व्यय (Telephone expenses)*** *: सामान्य समुच्चय (Pool) सेवाओं के माध्यम से प्रस्तावित की गई संसूचना सुविधाओं पर विचार नहीं किया गया है। तथापि, राभाप्रेके/उप–राभाप्रेके के अधिकारियों के लिये प्रस्तावित अतिरिक्त संसूचना सुविधा हेतु व्ययों को शामिल किया गया है।*

(iii) ***परामर्शी प्रभार (Consultancy Charges)*** *: परामर्शी प्रभारों के संबंध में प्रक्षेपण आईएसओ 9001:2008 हेतु राभाप्रेके के प्रमाणीकरण (Certification) भविष्य की स्काडा प्रणाली तथा मास्टर संचार प्रणाली हेतु योजना को तैयार किये जाने बाबत परामर्शी सेवाओं की प्राप्ति हेतु किये गये हैं।*

(iv) ***यात्रा व्यय (Travel Expenses)*** *: वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु यात्रा व्यय के प्रक्षेपण बढ़े हुए पदाधिकारियों तथा उपलब्धता आधारित टैरिफ/खुली पहुंच (ABT/OA) विनियामक तथा विधिक विषयों, प्रशिक्षण आदि को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुरूप रखे गये हैं।*

(v) ***वाहनों को भाड़े पर लिया जाना (Hiring of Vehicles)*** *: विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (राभाप्रेके) हेतु केवल एक ही वाहन की व्यवस्था की गई है। उप–राभाप्रेके हेतु किसी भी वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है तथा राभाप्रेके हेतु एक अतिरिक्त वाहन तथा दो उप–राभाप्रेके में प्रत्येक हेतु एक–एक वाहन का प्रावधान आगामी वर्षों हेतु किया गया है।*

(vi) ***सुरक्षा/सेवा प्रभार (Security/Service Charges)*** *: राभाप्रेके के लिए चौबीसों घंटे दो सशस्त्र सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था करनी होती है। चूंकि मप्रराविमं के सशस्त्र सुरक्षा गार्डों की सेवाएं सामान्य निकाय (Common Pool) से उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, अतएव चालू वर्ष के लिये राभाप्रेके हेतु सशस्त्र सुरक्षा गोर्डों की सेवा बाह्य स्त्रोतों से उपलब्ध कराई जा रही हैं। आगामी वर्ष के लिये छः कुशल मजदूरों हेतु सुरक्षा प्रभारों के प्रक्षेपण चालू वर्ष हेतु प्राप्त किये गये प्रस्तावों तथा दैनिक न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि अंशदान*

(13.61 प्रतिशत) ईएसआईसी (4.75 प्रतिशत), आदेश मूल्य पर सेवा प्रभार (10.3 प्रतिशत) आदि के आधार पर किये गये हैं।

(vii) ***पुस्तकों तथा पत्रिकाओं हेतु शुल्क तथा अंशदान (Fee and Subscriptions Books and Poriodicals) :*** *पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के शुल्क तथा अंशदान हेतु रू. 11.03 लाख के वास्तविक व्यय में रू. 10.97 लाख का पश्चिमी क्षेत्र पावर कमेटी (डब्लूआरपीसी) का शुल्क शमिल है। तथापि, चालू वर्ष के लिये ''डब्लूआरपीसी शुल्क'' तथा ''पुस्तकों तथा पत्रिकाओं हेतु शुल्क तथा अंशदान'' पृथक–पृथक दर्शाए गये हैं।*

(viii) ***स्टेशनरी व्यय (Stationery Expenses) :*** *स्टेशनरी व्ययों की गणना विभिन्न प्रतिवेदनों को तैयार करने में बढ़ी हुई आवश्यकताओं, पूंजीगत कार्यों के बढ़े हुए दायित्वों, उपलब्धता आधारित विद्युत दर (ABT) ⁄ खुली पहुंच, विद्युत अधिनियम, विनियामक तथा विधिक विषयों आदि को दृष्टिगत रखते हुए की गई है।*

(ix) ***विद्युत प्रभार (Electricity Charges) :*** *विद्युत प्रभारों हेतु प्रावधान राभाप्रेके, जबलपुर के वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु वास्तविक विद्युत देयकों के आधार पर किया गया है। आगामी वर्ष हेतु भी, ऊर्जा बचत उपायों पर विचार करते हुए, समरूप राशि का प्रावधान किया गया है।*

(x) ***अतिथि–सत्कार व्यय (Entertainment Expenses) :*** *अतिथि सत्कार संबंधी व्ययों की गणना राभाप्रेके के बढ़े हुए दायित्वों की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए की गई है।*

(xi) ***विधिक व्यय (Legal expenses) :*** *विधिक व्ययों की गणना, विभिन्न विधिक विषयों तथा विनियामक मामलों पर विचार करते हुए की गई है।*

आयोग का विश्लेषण

1.21 आयोग ने अपने पत्र क्रमांक 3524 दिनांक 24.12.2010 में अवलोकित किया है कि याचिका में वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू. 90.44 लाख के कुल प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों का दावा किया गया है जबकि वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु वास्तविक व्यय मात्र रू. 21.59 लाख था। राभाप्रेके को वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय में किये गये अत्यधिक प्रावधान के संबंध में औचित्य दर्शाने हेतु कहा गया।

1.22 उपरोक्त पत्र के प्रत्युत्तर में, राभाप्रेके ने पत्र क्रमांक 482 दिनांक 7.3.2011 द्वारा निवेदन किया है कि *''वित्तीय वर्ष 2011–12 के प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय हेतु रू. 90.44 लाख के प्रक्षेपण पिछले वर्षों में किये गये प्रक्षेपणों के अनुरूप हैं तथा इनमें दूरभाष, परामर्शी सेवाएं, यात्रा, वाहनों के भाड़े पर किया जाने वाला व्यय, सुरक्षा सेवा, डब्लूआरपीसी शुल्क, स्टेशनरी व्यय, विद्युत प्रभार, अतिथि सत्कार व्यय, विज्ञापन, विधिक व्यय, आदि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु रू. 21.59 लाख के वास्तविक प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय की गणना राभाप्रेके के सत्यापित कच्चे चिठ्ठे (Certified Trial Balance) में उल्लेखित विभिन्न प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों के आधार पर की गई है। वर्तमान में, राभाप्रेके के विद्युत प्रभारों का व्यय सीधे पुस्तक समायोजनों (book*

adjustments) के माध्यम से किया जाता है तथा इस हेतु नगद भुगतान नहीं किये जाते। अतएव, यह राशि राभाप्रेके के कच्चे चिठ्ठे में प्रदर्शित नहीं हो पाई है। वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय तथा वास्तविक सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय का अंतर उपरोक्त कारण से है। वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय के प्रक्षेपणों में विद्युत प्रभार, निजी संस्थाओं से प्राप्त की जा रही सुरक्षा सेवाएं तथा स्काडा/ईएमएस अथवा मास्टर दूर संचार योजना हेतु परामर्शदाता प्रभार शामिल हैं। उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू. 90.44 लाख के प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय के प्रक्षेपण युक्तियुक्त हैं।''

तालिका 6 : राभाप्रेके द्वारा दावा किये गये प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों के विवरण (लाख रूपये में)

विवरण	वर्ष 2010–11 (टैरिफ आदेश में अनुज्ञेय किये गये अनुसार)	वर्ष 2011–12 (मूल याचिका में दाखिल किये गये अनुसार)
प्रशासनिक व्यय (दूरसंचार, यात्रा, मप्रविनिआ/ डब्लूआरपीसी शुल्क, आदि)	30.39	38.48
अन्य प्रभार (मुद्रण एवं स्टेशनरी, कार्यालयों हेतु विद्युत प्रभार, अतिथि–सत्कार, विविध व्यय, आदि)	8.86	9.11
कार्यालय हेतु विद्युत प्रभार	35.35	35.35
विधिक प्रभार	3.00	3.00
सामग्री से संबंधित व्यय	4.50	4.50
सकल प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	**82.10**	**90.44**
घटायें : पूंजीकृत किये गये व्यय	0	0
शुद्ध प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	**82.10**	**90.44**

1.23 राभाप्रेके द्वारा विद्युत प्रभारों हेतु रू. 35.35 लाख के प्रक्षेपण किये गये हैं जो पिछले वर्ष के टैरिफ आदेश में अनुज्ञेय की गई राशि के अनुरूप हैं। राभाप्रेके द्वारा वर्तमान याचिका में दावा किये गये अन्य प्रशासनिक तथा सामान्य प्रभार आयोग द्वारा पिछले टैरिफ आदेश के अंतर्गत अनुमोदित किये गये प्रशासनिक तथा सामान्य प्रभारों के अनुरूप हैं।

1.24 दिनांक 3.5.2011 को आयोजित की गई सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा याचिकाकर्ता को राभाप्रेके के वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 के वास्तविक विद्युत प्रभारों की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। राभाप्रेके ने पत्र क्रमांक 966 दिनांक 13.5.2011 द्वारा निवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु वास्तविक विद्युत प्रभार देयकों की राशि रू. 32.14 लाख थी जबकि वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रू. 28.80 लाख थी। याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में सुसंबद्ध अभिलेखों के विवरण भी प्रस्तुत किये गये।

1.25 आयोग की अभ्युक्ति है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु राभाप्रेके के विद्युत देयकों की राशि केवल रू. 28.80 लाख है। अतएव, आयोग इस आदेश के अंतर्गत रू. 30.00 लाख के विद्युत प्रभारों का अनुमोदन प्रदान करता है। तथापि, वास्तविक प्रभारों पर विचार समुचित रूप से सत्यापन याचिका पर निर्णय के समय किया जाएगा। **तदनुसार, आयोग द्वारा इस आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू. 85.09 के प्रशासनिक तथा सामान्य प्रभारों का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।** वास्तविक व्यय में किसी प्रकार के समायोजन पर विचार, वित्तीय वर्ष 2011–12 की सत्यापन याचिका के अंतर्गत किया जाएगा।

मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (Repairs & Maintenance Expenses)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

1.26 वर्तमान याचिका के अंतर्गत राभाप्रेके द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों का पूर्वानुमान रूपये 215.98 लाख किया गया है। व्यय के पूर्वानुमानों में स्काडा तथा वाईड वैंड संसूचना प्रणाली हेतु दीर्घ–अवधि सेवा अनुबंध, सहायक विद्युत प्रदाय प्रणाली का वार्षिक संधारण अनुबंध (एएमसी) तथा प्रणाली सहायता सेवाऐं (System Support Services) शामिल हैं।

आयोग का विश्लेषण :

1.27 आयोग ने पत्र क्रमांक 3524 दिनांक 24.12.2010 द्वारा अभ्युक्ति की है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान संयंत्र तथा मशीनरी पर मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय रू. 102.57 लाख था जब कि कुल मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय रू. 106.10 लाख रहा। आयोग द्वारा संयंत्र तथा मशीनरी पर मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय पर दो वर्षों में 100 प्रतिशत वृद्धि आकलित किये जाने के कारण चाहे गये ।

1.28 राभाप्रेके द्वारा पत्र क्रमांक 482 दिनांक 7.3.2011 में निवेदन किया गया कि *''वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू. 215.98 लाख के प्रक्षेपित मरम्मत तथा संधारण व्ययों की गणना स्काडा/ईएमएस की चालू वार्षिक संधारण सविदा, वाईडबैंड संचार प्रणाली, एबीटी कम्प्यूटर प्रणाली के अनुबंधों के साथ–साथ सहायक विद्युत प्रदाय प्रणाली, राभाप्रेके भवन के विविध सिविल अनुरक्षण कार्यों, कार्यालय उपकरणों आदि हेतु भी की गई है। स्काडा/ईएमएस प्रणाली तथा वाईडबैंड दूरसंचार प्रणाली का वार्षिक संधारण अनुबंध दीर्घ सेवा अवधि पीजीसीआईएल, मुम्बई द्वारा आवंटित वित्तीय वर्ष 2009–10 के वास्तविक मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों में वृद्धि के कारण निम्नानुसार है :*

- *स्काडा/ईएमएस प्रणाली हेतु दीर्घ अवधि सेवा अनुबंध (LTSA) क्रमशः माह अक्टूबर, 2009 तथा अप्रैल, 2009 में प्रारंभ किये गये।अतएव वास्तविक किया गया व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के भाग हेतु स्काडा/ईएमएस प्रणाली के लिये था।*
- *वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु दीर्घ अवधि सेवा अनुबंध के प्रक्षेपणों में सेवाकर शामिल हैं जब कि चालू तथा पूर्व के वर्षों हेतु इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था।*

- *दीर्घ–अवधि सेवा अनुबंधों की राशि का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाता है। तदनुसार, देयकों की विलंबित प्रस्तुति के कारण अथवा कुछ भुगतानों के आगामी वर्ष में अंतरण के कारण वार्षिक व्यय में कुछ अंतर भी हो सकता है।''*

तालिका 7 : राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दावा किये गये मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों के विवरण (लाख रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2010–11 (टैरिफ आदेश में अनुज्ञेय किये गये अनुसार)	वित्तीय वर्ष 2011–12 (मूल याचिका के अनुसार)
संयंत्र तथा मशीनरी	185.95	206.58
भवन	0.00	0.00
सिविल कार्य	2.00	8.00
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0.70	0.70
कार्यालय उपकरण	0.70	0.70
सकल मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	**189.35**	**215.98**
(घटायें) : पूंजीकृत किये गये व्यय	0.00	0.00
शुद्ध मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	**189.35**	**215.98**

1.29 आयोग की अभ्युक्ति है कि मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों में अनुमानित वृद्धि मुख्यतः संयंत्र तथा मशीनरी के कारण है जिसे राभाप्रे केन्द्र द्वारा प्रचालन की स्वायत्तता (Ring Fencing) हेतु वहन करना होता है। मरम्मत तथा अनुरक्षण हेतु किसी भी राशि को पूंजीकृत (capitatized) नहीं किया गया है। **उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू. 215.28 लाख के मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों को अनुज्ञेय किया जाता है।**

1.30 उपरोक्त चर्चा के आधार पर, आयोग प्रचालन तथा संधारण व्ययों का अनुमोदन निम्न दर्शाए अनुसार करता है :

तालिका 8 : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये प्रचालन तथा संधारण व्यय (लाख रूपये में)

स. क्र.	विवरण	राभाप्रेके द्वारा दावा किये गये	मप्रविनिआ द्वारा अनुमोदित
1	शुद्ध कर्मचारी व्यय	675.15	675.15
2	शुद्ध प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	90.44	85.09
3	शुद्ध मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	215.98	215.98
	कुल प्रचालन तथा संधारण व्यय	**981.57**	**976.22**

अवमूल्यन, पूंजी पर प्रतिलाभ तथा आयकर (Depreciation, RoE and Income Tex)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

1.31 म.प्र.शासन ने राभाप्रके की परिसम्पत्तियों को एमपीपीटीसीएल के एक भाग के रूप में चिन्हांकित किया है। राभाप्रेके द्वारा निवेदन किया गया है कि अवमूल्यन राशि की गणना रूपये 13.75 लाख तथा पूंजी पर प्रतिलाभ (RoE) की गणना रूपये 13.88 लाख मानदण्डीय ऋण तथा पूंजी का अनुपात 70:30 मान कर की गई है। आयकर राशि की गणना रू. 4.72 लाख की गई है। तथापि, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण संबंधी पारित आदेशों के अनुरूप इन प्रभारों को वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु राभाप्रेके की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में सम्मिलित नहीं किया गया है।

आयोग द्वारा विश्लेषण

1.32 आयोग ने पाया है कि याचिकाकर्ता द्वारा किसी प्रकार के अवमूल्यन तथा पूंजी पर प्रतिलाभ हेतु अनुरोध नहीं किया गया है क्योंकि म.प्र. शासन के आदेश दिनांक 12 जून, 2008 के अनुसार राभाप्रेके हेतु कोई पृथक प्रारंभिक तुलन–पत्र (Balance Sheet) अधिसूचित नहीं किया गया है। आयोग याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करता है तथा **अवमूल्यन के लिए कोई भी राशि इस आदेश से अनुमोदित नहीं की गई है।**

ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest &Finance Charges)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

1.33 राभाप्रेके ने निवेदन किया है कि ब्याज तथा वित्त प्रभारों में केवल एक ही घटक होता है, अर्थात् कार्यकारी पूंजी पर ब्याज। कार्यकारी पूंजी की गणना कर्मचारी लागत, प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय, मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय एवं कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की राशि मानकर की गई है। मासिक कार्यकारी पूंजी की राशि रूपये 82.59 लाख आती है। दिनांक 19 नवम्बर, 2010 को अधिसूचित राभाप्रेके के शुल्क तथा प्रभारों संबंधी तृतीय संशोधन के अनुसार, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज पर विचार मानदण्डीय आधार पर किया जाता है जिसकी गणना भारतीय स्टेट बैंक की वर्ष के 1 अप्रैल की आधार दर में 4 प्रतिशत जोड़कर की जाती है। तदुनसार, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज 11.50 प्रतिशत (दिनांक 1 जुलाई, 2010 को प्रभावशील आधार दर 7.5 प्रतिशत के अनुसार) ली गई है। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना रू. 9.50 लाख की गई है।

1.34 आयोग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3524 दिनांक 24.12.2010 द्वारा राभाप्रेके से कार्यकारी पूंजी पर ब्याज के संबंध में निम्न आधार पर औचित्य चाहा गया :

i) राभाप्रेके की याचिका के पृष्ठ 7 में उल्लेख किया गया है कि राभाप्रेके के वेतन, प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय तथा मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों का भुगतान म.प्र. ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है तथा इनमें किसी प्रकार का राजस्व अन्तर नहीं पाया गया है।

ii) प्रपत्र 8 में प्रस्तुत की गई जानकारी में दर्शाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान कार्यकारी पूंजी पर ब्याज हेतु **वास्तविक व्यय 0 (शन्य) है।**

iii) याचिका के पृष्ठ 7 पर पैरा 7(4) में प्रस्तुत की गई जानकारी में दर्शाया गया है कि दिनांक 31.3.2010 की स्थिति में पूंजीगत व्यय निधि का संचयी शेष रू. 88.59 लाख था तथा रू. 7.32 लाख (लगभग) की ब्याज राशि की गणना की गई है।

1.35 राभाप्रेके ने अपने पत्र क्रमांक 482 दिनांक 7.3.2011 द्वारा निवेदन किया है कि *''कार्यकारी पूंजी पर ब्याज को मप्रविनिआ(राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण) विनियम, 2004 की कण्डिका 9.9 (ii)के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 19 नवम्बर, 2010 को अधिसूचित किये गये राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रण तथा संग्रहण संबंधी विनियम के तृतीय संशोधन के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर पर विचार मानदण्डीय आधार पर किया जाता है जो वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में 4 प्रतिशत जोड़कर के बराबर होता है। तदनुसार, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज 11.50 प्रतिशत (दिनांक 1 जुलाई, 2010 से प्रभावशील 7.5 प्रतिशत की आधार दर पर) लिया गया है। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना रू. 9.50 लाख की गई है।''*

राभाप्रेके ने यह भी निवेदन किया है कि *''याचिका के पैरा 7(4) में प्रस्तुत की गई जानकारी वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभार एवं वास्तविक आय तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु अनन्तिम आय के आधार पर थी। चूंकि वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु लेखे अन्तिम किये जा चुके हैं, पूंजीगत व्यय की राशि पर ब्याज की गणना रू. 8.07 लाख निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :''*

पूंजीगत व्यय निधि पर ब्याज की गणना (राशि लाख रूपये में)

सरल क्रमांक	*वित्तीय वर्ष*	*वित्तीय वर्ष हेतु ब्याज की औसत दर*	*पूंजीगत निधि (प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों का 50 प्रतिशत)*	*वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय (स्थाई परिसम्पतिया + प्रगति पर निर्माण कार्य+ अग्रिम*	*पूंजीगत व्यय निधि का वार्षिक शेष (4)–(5)*	*निधि का संचयी शेष (5)–(6)*	*(7) की शेष राशि पर ब्याज*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	*2006-07*	*8.60%*	*19.59*	*33.33*	*-13.74*	*निरंक*	*निरंक*
2	*2007-08*	*7.50%*	*33.82*	*15.94*	*17.88*	*4.14*	*0.15525*
3	*2008-09*	*7.50%*	*62.68*	*2.24*	*60.44*	*64.58*	*2.57700*
4	*2009-10*	*6.00%*	*75.79*	*26.86*	*48.93*	*113.51*	*5.34270*
		कुल					***8.07495***

आयोग का विश्लेषण

1.36 राभाप्रेके द्वारा याचिका के प्रपत्र एफ–8 में दायर की गई जानकारी स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करती है कि उसके द्वारा दीर्घ–अवधि ऋण पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना है।

अतएव, राभाप्रेके द्वारा अपनी याचिका में किसी प्रकार के ब्याज तथा वित्त प्रभारों का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आयोग राभाप्रेके की प्रस्तुति को स्वीकार करता है तथा इस आदेश के अंतर्गत आयोग ने दीर्घ–अवधि ऋण पर ब्याज तथा वित्त प्रभारों के दावे का अनुमोदन नहीं किया गया है।

1.37 राभाप्रेके के वित्तीय वर्ष 2010–11 के टैरिफ आदेश के पैरा 1.30 तथा पैरा 1.31 में आयोग द्वारा यह संज्ञान में लिया गया है कि राभाप्रेके के पास पूंजीगत व्यय हेतु रू. 114.70 लाख की राशि उपलब्ध थी तथा राभाप्रेके द्वारा निवेदन किया गया कि **''इस प्रकार कोई राजस्व अंतर होना नहीं पाया गया है।''** इसी आदेश के अंतर आयोग द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि *''आयोग इस आदेश के अंतर्गत कर्मचारी व्ययों की आपूर्ति हेतु राभाप्रेके शुल्क तथा प्रभार, प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय, मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय अनुज्ञेय कर रहा है तथा इस प्रकार वह वित्तीय वर्ष 2009–10 के अंतिम टैरिफ आदेश के पैरा 2.16 की अभ्युक्ति के अनुरूप ही अपना दृष्टिकोण अपना रहा है। अतएव आयोग इस आदेश के अंतर्गत कर्मचारी पूंजी पर ब्याज को अनुमोदन प्रदान नहीं कर रहा है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2009–10 इस याचिका के प्रस्तुतिकरण के समय भी जारी था, अतएव वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु इस आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु सत्यापन नहीं किया गया है। यदि राभाप्रेके कार्यकारी पूंजी पर अर्जित ब्याज पर कोई वास्तविक व्यय वहन करता है तथा पूर्व के वर्षों में रखी गई निष्क्रिय राशि के संबंध में विवरण प्रदान करता है तो इसका दावा सत्यापन याचिका के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है।''*

1.38 वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु राभाप्रेके का तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) भी ब्याज तथा वित्त प्रभारों की राशि ''शून्य'' प्रदर्शित करता है।

1.39 यह पाया गया है कि राभाप्रेके ने प्रस्तुत की गई वर्तमान याचिका में वार्षिक राजस्व आवश्यकता की राशि रू. 991.07 लाख दर्शाई है तथा उनके द्वारा कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना हेतु उनके पास उपलब्ध स्वतंत्र पूंजीगत व्यय निधि पर विचार नहीं किया गया है।

1.40 मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण) विनियम, 2004 पुनरीक्षण प्रथम, 2006 (आरजी–16 वर्ष, 2006) जिसे 5 मई, 2006 को अधिसूचित किया गया है, के विनियम 10.3 में कहा गया है कि *''विनियम 10 के अनुसार उपरोक्त लघु–कालीन उपभोक्ताओं से प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभारों से अर्जित राजस्व की पचास (50) प्रतिशत राशि राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्वयं के द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पूंजीगत व्यय हेतु अधोसंरचना विकास के प्रयोजन से रोक ली जावेगी। शेष 50 प्रतिशत राजस्व को अनुवर्ती वर्ष हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क तथा प्रभारों की गणना हेतु माना जावेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र इस प्रकार अर्जित की गई राशियों का पृथक लेखा संधारित करेगा तथा आयोग द्वारा उसके वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अवधारण के समय उसे किये गये धन विनियोग का विवरण प्रकट करना होगा।''*

1.41 वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान, प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभार रू. 160.00 लाख होना संभावित है । वार्षिक राजस्व आवश्यकता के प्रयोजन से, अन्य प्रभारों से राजस्व की गणना करते

समय, प्रस्तुत की गई याचिका के प्रपत्र एफ–1 में, राभाप्रेके द्वारा प्रचालन तथा अनुसूचीकरण की 50 प्रतिशत राशि मानी गई है अर्थात्, रूपये 80 लाख। विनियम के उपरोक्त उल्लेखित उपबन्धों के अनुसार, पूर्व के वर्षों के दौरान भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था। पूंजीगत व्यय के संबंध में राभाप्रेके का वास्तविक व्यय उपलब्ध पूंजीगत व्यय निधि से काफी कम है। राभाप्रेके द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह स्पष्ट है तथा इसी कारण से दिनांक 31.3.2010 की स्थिति में (अन्तिम प्रस्तुत किये गये तुलन–पत्र के अनुसार) राभाप्रेके के पास रूपये 113.51 लाख की पूंजीगत व्यय निधि की संचिति शेष (Cumulative balance) राशि उपलब्ध है।

1.42 उपरोक्त समस्त कारकों पर विचार करते हुए, कार्यकारी पूंजीगत ब्याज की गणना निम्नानुसार की गई है :

वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (राशि लाख रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	राभाप्रेके द्वारा दायर किये गये अनुसार	मप्रविनिआ द्वारा अनुमोदित किये गये अनुसार
1.	शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यक (Net ARR)	991.07	652.07
2.	मासिक व्यय (वार्षिक राजस्व आवश्यकता का 1/12 वां भाग)	82.59	54.34
3.	घटायें : पूंजीगत व्यय निधि का संचिति शेष (अन्तिम तुलन पत्र के अनुसार)	0.00	113.51
4.	कार्यकारी पूंजी का आवश्यकता (2 – 3)	82.59	-59.17
5.	**कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (11.5 प्रतिशत की दर से)**	**9.50**	**0.00**

1.43 आयोग की अभ्युक्ति है कि स्वतंत्र रक्षित धन (free reserves) (अर्थात, पूंजीगत व्यय हेतु उपलब्ध बिना व्यय की गई संचिति निधि के रूप में धन राशि) राभाप्रेके की कार्यकारी पूंजी अर्हता से कहीं अधिक है। **अतएव, आयोग इस आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज को स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा है।** राजस्व अंतर की पूर्ति किये जाने की दृष्टि से अपने प्रस्ताव में राभाप्रेके ने निवेदन किया है कि ''कोई भी राजस्व अंतर नहीं पाया गया है।'' यदि राभाप्रेके कार्यकारी पूंजी पर ब्याज हेतु वास्तविक रूप से कोई धनराशि व्यय करता है तथा इस हेतु कोई औचित्य प्रस्तुत करता है तो आयोग द्वारा इस प्रकार के दावे पर वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सत्यापन याचिका में यथोचित विचार किया जा सकता है।

अन्य–संवैधानिक करों, उपकरों, आदि का भुगतान (Other-Payment of Statutory Taxes, Cess etc.)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

1.44 राभाप्रेके द्वारा राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों से उद्ग्रहित तथा संग्रहित किये जाने वाले शुल्क तथा प्रभारों की गणना में संवैधानिक करों, उद्ग्रहण (levy), उपकर (Cess) अथवा शासन अथवा अन्य किसी संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा लगाया गया अन्य किसी प्रकार का महसूल (Impost) शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार के व्यय, यदि कोई

हों, को राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा इनका समायोजन अनुवर्ती वर्षों में किया जाएगा।

आयोग का विश्लेषण

1.45 आयोग राभाप्रेके का निवेदन स्वीकार करता है। इस प्रकार के करों, उपकरों आदि का संव्यवहार उचित रूप से इन्हें वास्तविक रूप से वहन किये जाने पर तथा सत्यापन याचिका में इनका दावा किये जाने पर किया जाएगा।

अन्य आय (Other Income)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

1.46 रूपये 131.00 लाख की अन्य आय का पूर्वानुमान खुली पहुंच क्रेताओं से प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों, संयोजन प्रभारों तथा आवेदन प्रक्रिया शुल्क से आय के रूप में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु वास्तविक अन्य आय, राभाप्रेके हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु टैरिफ आदेश में अनुज्ञेय की गई अन्य आय तथा राभाप्रेके द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु दावा की गई अन्य आय निम्नानुसार है :

(राशि लाख रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वास्तविक (वित्तीय वर्ष 09–10)	जैसा कि टैरिफ आदेश में अनुज्ञेय किया गया है (वित्तीय वर्ष 2010–11)	राभाप्रेके द्वारा प्राक्कलित की गई (वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु)
1	अनुसूचीकरण तथा प्रचालन व्यय (50 प्रतिशत आय के रूप में)	75.79	75.00	80.00
2	संयोजन प्रभार (connectivity charge)	5.65	6.00	6.00
3	लघु–अवधि खुली पहुंच क्रेताओं (STOAC) से प्राप्त आवेदन प्रक्रियावद्ध किये जाने संबंधी शुल्क	41.70	90.00	45.00
	कुल	**123.14**	**171.00**	**131.00**

विनियमों में किये गये प्रावधान (Provisions of Regulations:)

1.47 विनियमों की कण्डिकाओं 9.14 तथा 10.00 में प्रावधान किया गया है कि

''आयोग द्वारा अवधारित राज्य भार पारेषण केन्द्र प्रचालनों हेतु समस्त प्रभारों से आय को आय माना जावेगा। इस आय में समस्त शुल्क तथा प्रभार, जैसे के आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किये जावें, सम्मिलित होंगे।

प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभार

वे क्रेतागण जो दीर्घ–कालीन अनुबंध सम्पादित कर रहे हैं, को प्रणाली प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभारों का भुगतान नहीं करना होगा परन्तु, उन्हें प्रत्येक बार अनुसूचीकरण के पुनरीक्षण किये जाने पर प्रभारों का भुगतान, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाए, करना होगा।

प्रणाली प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभार जैसा कि वे आयोग द्वारा प्रति सौदा (ट्रांसेक्शन) प्रति दिवस अथवा उसके किसी भाग के आधार पर अवधारित किये जाएं, समस्त लघु–कालीन, खुली पहुंच क्रेतागणों द्वारा जो राज्य पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली का उपयोग कर रहे हों, प्रति माह अग्रिम में भुगतान करना होंगे। उन्हें प्रत्येक बार अनुसूची के पुनरीक्षण किये जाने बाबत् प्रभारों के भुगतान, जैसे कि वे आयोग द्वारा अवधारित किये जाएं, करना होंगे।

विनियम 10 के अनुसार उपरोक्त लघु–कालीन उपभोक्ताओं से प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभारों से अर्जित राजस्व की पचास (50) प्रतिशत राशि राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्वयं के द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पूंजीगत व्यय हेतु अधोसंरचना विकास के प्रयोजन से रोक ली जाएगी। शेष 50 प्रतिशत राजस्व को अनुवर्ती वर्ष हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क तथा प्रभारों की गणना हेतु माना जाएगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र इस प्रकार अर्जित की गई राशियों का पृथक लेखा संधारित करेगा तथा आयोग द्वारा उसके वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अवधारण के समय उसे किये गये धन विनियोग का विवरण प्रकट करना होगा।''

आयोग का विश्लेषण :

1.48 याचिका के प्रपत्र एफ–1 में राभाप्रेके द्वारा अन्य आय का अनुमान निम्नानुसार लगाया गया है :

तालिका 9 : अन्य आय (राभाप्रेके द्वारा दाखिल किये गये अनुसार)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि (लाख रूपये में)
1	संयोजन प्रभार	6.00
2	प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभार (50 प्रतिशत आय के रूप में)	80.00
3	लघु अवधि खुली पहुंच क्रेताओं हेतु आवेदन प्रक्रियाबद्ध किये जाने संबंधी शुल्क (प्रोसेसिंग फी)	45.00
	संयोजन तथा प्रचालन प्रभारों से कुल आय	**131.00**

1.49 आयोग ने अपने पत्र क्रमांक 3524 दिनांक 24.12.2010 द्वारा **''अन्य प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की प्राप्ति (expected revenue from other charges)"** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में रू. 171.00 लाख से वित्तीय वर्ष 2011–12 में कम कर इसे रू. 131.00 लाख किये जाने के कारण चाहे गये।

1.50 राभाप्रेके द्वारा अपने पत्र क्रमांक 482 दिनांक 7.3.2011 में निवेदन किया गया कि *''अन्य प्रभारों से प्राप्त राजस्व में अनुसूचीकरण एवं प्रचालन व्यय तथा आवेदन प्रक्रियाबद्ध करने संबंधी शुल्क शामिल होते हैं। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रू. 171.00 लाख के आय प्रक्षेपण पूर्व वर्ष में प्राप्त किये गये राजस्व तथा वित्तीय वर्ष के दौरान खुली पहुंच के आधार पर प्रस्तुत किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अन्य प्रभारों से प्राप्त राजस्व रू. 149.24 लाख था जब कि वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु इसी मद के अंतर्गत यह राशि रू. 123.14 लाख थी। वित्तीय वर्ष 2010–11*

की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रक्षेपित अन्य आय में कमी का कारण आगामी वर्ष के दौरान खुली पहुंच उपभोक्ताओं से प्रत्याशित आवेदन शुल्क में कमी होना है।''

1.51 इस संबंध में आयोग ने पाया है कि :

(अ) दिनांक 31.3.2010 की स्थिति में कच्चा चिठ्ठा (trial balance) यह प्रदर्शित करता है कि संयोजन प्रभारों में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान रू. 3.75 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान रू. 5.65 लाख हुई। अतएव, राभाप्रेके का वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु संयोजन प्रभारों का रू. 6.00 लाख का प्रक्षेपण युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

(ब) दिनांक 31.3.2010 की स्थिति में कच्चा चिठ्ठा दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों में वृद्धि रू.125.37 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2009–10 में रू. 151.57 लाख हुई। अतएव, राभाप्रेके का वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु संयोजन प्रभारों संबंधी रू. 160.00 लाख का प्रक्षेपण युक्तियुक्त प्रतीत होता है। प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों की राशि का 50 प्रतिशत, जिसे अन्य आय से राजस्व की प्राप्ति माना गया है, की गणना रू. 80.00 लाख की गई है।

(स) वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु राभाप्रेके के तुलन–पत्र की अनुसूची 10 प्रदर्शित करती है कि ''खुली पहुंच क्रेताओं से आवेदन शुल्क की प्राप्ति'' वित्तीय वर्ष 2008–09 में रू. 82.80 लाख से घटकर वित्तीय वर्ष 2009–10 में रू. 41.70 लाख हुई है। यह प्रदर्शित करता है कि राभाप्रेके के द्वारा ''आवेदन शुल्क प्रक्रियाबद्ध करने संबंधी शुल्क (Application Processing Fee)" वित्तीय वर्ष 2010–11 की याचिका में रू. 90.00 लाख से घटाकर वित्तीय वर्ष 2011–12 की वर्तमान याचिका में रू. 45.00 लाख कर दिये गये हैं।

1.52 दिनांक 3.5.2011 को आयोजित सुनवाई के दौरान, आयोग द्वारा याचिकाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु वास्तविक संयोजन प्रभारों तथा प्रचालन अनुसूचीकरण प्रभारों तथा आवेदन प्रक्रियाबद्ध किये जाने संबंधी शुल्क के विवरण प्रस्तुत करने तथा इन्हें वित्तीय वर्ष 2011–12 में वर्तमान याचिका किये गये प्रक्षेपण के परिप्रेक्ष्य में औचित्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

1.53 राभाप्रेके ने अपने पत्र क्र. 966 दिनांक 13.5.2011 द्वारा निवेदन किया गया कि :

''वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान, खुली पहुंच उपभोक्ताओं से रू. 82.80 लाख के आवेदन प्रक्रियाबद्ध करने संबंधी शुल्क (Application Processing Fee) प्राप्त किये गये जबकि वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान यह राशि रू. 41.70 लाख थी। मान. आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु आवेदन प्रक्रियाबद्ध करने संबंधी शुल्क की प्राप्ति में कमी होने के बारे में जानकारी/कारण चाहे गये थे।

वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु आवेदन शुल्क में कमी होने के संबंध में निवेदन है कि दिवस पूर्व संव्यवहार (day ahead transaction) श्रेणी के अंतर्गत, वर्ष 2008–09 के दौरान लगभग 855 आवेदन तथा वर्ष 2009–10 के दौरान 232 आवेदन प्राप्त किये गये। राभाप्रेके द्वारा शीर्ष

"Application processing fee" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण आवेदन शुल्क की कम राशि प्राप्त हुई। दूसरी ओर, वित्तीय वर्ष 2008–09 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान अनुसूचीकरण तथा प्रणाली प्रचालन प्रभार (scheduling and system operation charge) में वृद्धि होने का कारण म.प्र. जनरेशन कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 में संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता (Balancing & Settlement Code) के क्रियान्वयन के कारण अनुसूचियों का पुनरीक्षण किया जाना भी है। ऐसा किये जाने से अग्रिम अथवा 'प्रथम आओ प्रथम पाओ (first come first)' के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान लघु–अवधि खुली पहुंच संव्यवहारों (short term open access transactions) में वृद्धि दर्ज की गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक अन्य आय की तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है :

प्रचालन एवं अनुसूचीकरण संयोजन तथा आवेदन शुल्क प्रक्रियाबद्ध करने संबंधी प्रभारों का सार

(राशि लाख रूपये में)

वित्तीय वर्ष	प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभार	संयोजन प्रभार	आवेदन प्रक्रियाबद्ध करने संबंधी शुल्क	प्रचालन एवं अनुसूचीकरण राशि का 50 प्रतिशत जिसे आय माना गया है	कुल आय (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
2008-09	125.37	3.75	82.80	62.69	149.24
2009-10	151.57	5.65	41.70	75.79	123.14
2010-11	203.78	9.75	27.45	101.89	139.09

1.54 आयोग ने याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण पर विचार किया है तथा यह पाया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक अन्य आय क्रमशः रू. 149.24 लाख, रू. 123.14 लाख तथा रू. 139.09 लाख है। आयोग द्वारा यह भी पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों में वृद्धि का कारण वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता के क्रियान्वयन के उपरांत एमपी जनको द्वारा अनुसूचियों का पुनरीक्षण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान, प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों में और भी वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान, अन्य आय में रू. 16 लाख की वृद्धि दर्ज की गई है तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 में आगे रू. 11 लाख की अतिरिक्त वृद्धि होने की संभावना है। अतएव, आयोग **इस आदेश के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू. 150 लाख का अन्य आय के रूप में अनुमोदन प्रदान करता है।** इन शीर्षों के

अंतर्गत वास्तविक आय पर सत्यापन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के दौरान विचार किया जाएगा तथा उचित समायोजन किया जाएगा।

पुनर्मिलान/वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए सत्यापन

1.55 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु राभाप्रेके के टैरिफ आदेश में राभाप्रेके को वित्तीय वर्ष 2011–12 की टैरिफ याचिका के साथ वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु सत्यापन याचिका दाखिल किये जाने जाने संबंधी निर्देश दिये गये।

1.56 आयोग ने पत्र क्रमांक 3524 दिनांक 24.12.2010 द्वारा अभ्युक्ति की गई कि राभाप्रेके ने वर्तमान याचिका के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में किये गये वास्तविक व्ययों पर विचार नहीं किया गया। आयोग द्वारा राभाप्रेके को वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु सत्यापन राशि को विषयवस्तु याचिका के भाग के रूप में शामिल किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये।

1.57 राभाप्रेके ने पत्र क्रमांक 482 दिनांक 7.3.2011 द्वारा निवेदन किया गया कि वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता में अनुमोदित किये गये व्ययों के विवरण तथा अनुमोदित आय तथा अंकेक्षित लेखे के अनुसार वास्तविक व्यय तथा वास्तविक आय के विवरण निम्नानुसार सारबद्ध किये गये हैं :

- **व्यय *(Expenses)***

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	*वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय किये गये व्यय*	*वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु याचिका में दाखिल किये गये वास्तविक व्यय*	*अन्तर (अनुज्ञेय किये गये (–) वास्तविक) जिनका पुनर्मिलान किया जाना शेष है*
कर्मचारी लागत	*483.51*	*454.98*	*28.53*
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	*136.23*	*21.59*	*114.64*
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	*170.22*	*106.10*	*64.12*
ब्याज तथा वित्त प्रभार	*0.00*	*0.04*	*-0.04*
योग	*789.96*	*582.71*	*207.25*

अन्य आय *(Other Income)*

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	*वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय की गई आय*	*वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु याचिका में दाखिल की गई वास्तविक आय*	*अन्तर (अनुज्ञेय किये गये (–) वास्तविक) जिनका पुनर्मिलान किया जाना शेष है*
अनुसूचीकरण तथा प्रचालन प्रभारों का 50 प्रतिशत	*70.00*	*75.79*	*-5.79*
संयोजन प्रभार	*5.00*	*5.65*	*-0.65*
आवेदन प्रभार	*85.00*	*41.70*	*43.30*
उप–योग	***160.00***	***123.14***	***36.86***
प्रपत्र एफ 2 में उल्लेखित की गई अन्य विविध प्राप्तियां	*0.00*	*3.76*	*-3.76*
कुल योग	***160.00***	***126.90***	***33.10***

राभाप्रेके द्वारा निवेदन किया गया कि वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु पुनर्मिलान की जाने वाली शुद्ध राशि जिसे वार्षिक राजस्व आवश्यकता में समायोजित किया जाना है, की गणना (207.25–33.10) *अथार्थ* रू. 174.15 लाख की गई है।

1.58 आयोग द्वारा पाया गया कि राभाप्रेके द्वारा उपरोक्त दर्शाए गये रू. 0.04 लाख के ब्याज तथा वित्त प्रभार वास्तव में केचल रू. 3860 के बैंक प्रभार हैं जिन्हें राभाप्रेके के लाभ तथा हानि लेखा की अनुसूची 14 के अंतर्गत (प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय के रूप में) दर्शाया गया है।

1.59 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के तुलन–पत्र (बैलेंस शीट), लाभ तथा हानि लेखा व इसकी अनुसूची में तथा याचिका के विभिन्न प्रपत्रों में दर्शाये गये तत्संबंधी आंकड़ों में विसंगतियों के पाये जाने पर याचिकाकर्ता को याचिका में प्रस्तुत समस्त आंकड़ों को वित्तीय वर्ष 2009–10 के तुलन–पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा में उल्लेखित आंकड़ों के साथ मिलान करने के निर्देश दिये गये तथा विसंगतियां, यदि कोई हों, के संबंध में कारण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये।

1.60 राभाप्रेके द्वारा पत्र क्रमांक 482 दिनांक 7.3.2011 द्वारा निवेदन किया गया कि *''वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु याचिका के तत्संबंधी प्रपत्रों में दर्शाये गये कर्मचारी लागत, प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय एवं मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों संबंधी आंकड़े वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु राभाप्रेके के अंकेक्षित कच्चे चिठ्ठे के आधार पर लिये गये हैं, अतएव ये समस्त आंकड़े वास्तविक व्यय हैं। इसके अतिरिक्त, माननीय आयोग द्वारा पत्र दिनांक 24.12.2011 के पैरा (xi) में इंगित की गई विसंगतियों के बारे में, निवेदन किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु तुलन–पत्र, लाभ तथा हानि लेखा तथा इसकी अनुसूची में अंतर निम्न कारणों से हैं :*

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	*वित्तीय विवरण पत्रक*		*याचिका*		*अन्तर*	*राभाप्रेके की प्रतिक्रिया*
	अनुसूची क्रमांक	*राशि*	*प्रपत्र क्रमांक*	*राशि*		
कर्मचारी लागत	*13*	*480.61*	*F4*	*454.98*	*25.63*	*स्पष्टीकरण 1*
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	*14*	*21.65*	*F5*	*21.59*	*0.06*	*स्पष्टीकरण 2*
राभाप्रेके प्रभार	*10*	*717.94* *759.64*	*F1*	*560.72* *683.86*	*75.78*	*स्पष्टीकरण 3*
अन्य आय	*11*	*2.50* *1.25*	*F2*	*3.61*	*0.14*	*स्पष्टीकरण 4*
सकल स्थाई परिसम्पत्ति तथा अवमूल्यन	*2*	*288.30* *196.19*	*F7*	*296.19* *157.08*	*प्रपत्र 7 को पुनरीक्षित किया गया है*	*स्पष्टीकरण 5*

स्पष्टीकरण–1

प्रपत्र एफ–4 में दर्शाई गई रू. 454.98 लाख की कर्मचारी लागत में रू. 454.95 लाख की वास्तविक कर्मचारी लागत तथा रू. 0.03 लाख के प्रशिक्षण व्यय शामिल हैं। अनुसूची 13 में उल्लेखित रू. 480.61 लाख की कर्मचारी लागत में रू. 454.95 लाख की वास्तविक कर्मचारी लागत के साथ–साथ लगभग रू. 25.66 लाख का प्रावधान वेतन पुनरीक्षण संबंधी बकाया राशि हेतु किया गया है जिसका उल्लेख प्रपत्र एफ–4 में नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, याचिका के मानक प्ररूप के अनुसार रू. 0.03 लाख के प्रशिक्षण व्यय याचिका के प्रपत्र 4 में दर्शाये गये हैं। परन्तु, इन्हें प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय माना गया है तथा इन्हें अनुसूची 14 में सम्मिलित किया गया है। अतएव, रू. 454.98 की वास्तविक कर्मचारी लागत, जैसा कि इसका उल्लेख प्रपत्र एफ–4 में किया गया है, के सत्यापन हेतु दावा किया गया है।

स्पष्टीकरण–2

अनुसूची 14 में उल्लेखित रू. 21.65 लाख के प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय में रू. 21.59 लाख के विभिन्न प्रशासनिक तथा साामन्य व्यय, रू. 0.03 लाख के बैंकिंग प्रभार तथा रू. 0.03 लाख के प्रशिक्षण व्यय शामिल हैं। प्रपत्र एफ–5 में दर्शाये गये प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय में बैंकिंग प्रभार तथा प्रशिक्षण प्रभार शामिल नहीं हैं क्योंकि बैंकिंग प्रभारों को प्रपत्र एफ–8 में तथा प्रशिक्षण प्रभारों को प्रपत्र एफ–4 में दर्शाया गया है। अतएव, रू. 21.59 लाख के प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय, जैसा कि इनका उल्लेख प्रपत्र एफ–5 में किया गया है, सत्यापन हेतु दावा किये गये वास्तविक व्यय हैं।

स्पष्टीकरण –3

राभाप्रेके प्रभारों में शुल्क तथा प्रभारों से राजस्व {अर्थात् तीनों विद्युत वितरण कंपनियों तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ) से प्राप्त किये गये} तथा अन्य प्रभारों से राजस्व (अर्थात् अनुसूचीकरण एवं प्रचालन, संयोजन तथा आवेदन प्रक्रियाबद्ध किये जाने संबंधी शुल्क) शामिल हैं। प्रपत्र एफ–1 में दर्शाई गई रू. 683.86 लाख की राशि में रू. 75.78 लाख की 50 प्रतिशत अनुसूचीकरण तथा प्रचालन राशि से प्राप्त राजस्व शामिल है। मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004 की कण्डिका 10 (3) के अनुसार, अनुसूचीकरण एवं प्रचालन प्रभारों की 50 प्रतिशत राशि को अधोसंरचना विकास हेतु आय तथा शेष राशि के रूप में धारित रखा जाना है। तदनुसार, रू. 151.57 लाख के अनुसूचीकरण तथा प्रचालन प्रभारों को दो बराबर–बराबर भागों में दर्शाया गया है, अर्थात् 50 प्रतिशत राशि प्रपत्र एफ–1 में अर्जन के रूप में तथा 50 प्रतिशत राशि पूंजीगत व्यय के रूप में धारित रखी गई है। अनुसूची 10 में दर्शाई गई रू. 759.64 लाख की राशि में रू. 151.57 लाख की राशि कुल अनुसूचीकरण एवं प्रचालन प्रभारों से प्राप्त राजस्व की राशि शामिल है। अनुसूची 10 में दर्शाई गई रू. 75.78 लाख की वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान प्राप्त किये गये अनुसूचीकरण तथा प्रचालन प्रभारों के

शतप्रतिशत लेख्यांकन के कारण हैं। अतएव, प्रपत्र एफ–1 में दर्शाई गई रू. 123.24 लाख की राशि, वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु सत्यापन के लिये दावा की गई वास्तविक अर्जित राशि है।

स्पष्टीकरण– 4

अन्य आय अनुसूची 11 में दर्शाई गई रू. 3.76 लाख (लगभग) की राशि में शामिल है, ऋण पर ब्याज आय तथा कर्मचारियों को अग्रिम प्रदाय की रू. 2.50 लाख की राशि तथा विविध प्राप्तियों की रू. 1.25 लाख की राशि। इसे अन्य आय के प्रपत्र एफ–2 में दर्शाया गया है। अनुसूची 11 तथा प्रपत्र एफ–2 में रू. 0.14 लाख का अन्तर असावधानी से हुई त्रुटि के कारण है, जो एक्सेल शीट में प्रपत्र एफ–2 की पंक्ति बी (10) में पाई गई । इस त्रुटि का अब सुधार कर लिया गया है। अनुसूची 11 तथा पुनरीक्षित प्रपत्र एफ–2 में दर्शाई गई राशि अब एक समान है जिसका दावा सत्यापन हेतु किया गया है।

स्पष्टीकरण– 5

प्रपत्र एफ–7 में दर्शाई गई सकल स्थाई परिसम्पत्तियों तथा अवमूल्यन/अवक्षयण की राशि की गणना राभाप्रेके के पास उपलब्ध परिसम्पत्ति अभिलेखों तथा पूर्व की अवमूल्यन दर के प्रतिशत के आधार पर की गई है। प्रपत्र एफ–7 का पुनरीक्षण वित्तीय विवरण पत्र अनुसूची 10 के अनुसार किया जा चुका है तथा सकल स्थाई सम्पत्ति तथा अवमूल्यन विवरण–पत्रों में अब कोई विसंगति नहीं है।

1.61 राभाप्रेके द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु प्रस्तुत किये गये तुलन–पत्र तथा कच्चे चिठ्ठे के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किये गये तर्क न्यायसंगत प्रतीत होते हैं। आयोग द्वारा राभाप्रेके के निवेदन पर विचार कर **रू. 174.15 लाख की मिलान की शुद्ध राशि (वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु सत्यापन) को वित्तीय वर्ष 2011–12 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में समायोजित किया जाता है।**

वार्षिक राजस्व आवश्यकता की संक्षेपिका

1.62 उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु राभाप्रेके की अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता को निम्न तालिका में सारबद्ध किया गया है :

तालिका 10 : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सार

(लाख रूपये में)

स. क्र.	विवरण	राभाप्रेके की याचिका अनुसार	मप्रविनिआ द्वारा अनुमोदित
1	शुद्ध कर्मचारी व्यय (टर्मिनल प्रसुविधाओं को छोड़कर)	675.15	675.15
2	शुद्ध प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	90.44	85.09
3	शुद्ध मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	215.98	215.98
4	अवमूल्यन/अवक्षयण	0.00	0.00
5	ऋणों पर ब्याज	0.00	0.00
6	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	9.50	0.00
7	पूंजी पर प्रतिलाभ	0.00	0.00

स. क्र.	विवरण	राभाप्रेके की याचिका अनुसार	मप्रविनिआ द्वारा अनुमोदित
8	आय कर	0.00	0.00
9	**कुल राजस्व व्यय**	**991.07**	**976.22**
10	घटायें : संयोजन तथा प्रचालन प्रभारों से आय	N.C.	150.00
11	**(घटायें) वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु सत्यापन राशि**	N.C.	174.15
12	**वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यकता**	**991.07**	**652.07**

टीप– "NC" से तात्पर्य "Not considered" अर्थात् याचिकाकर्ता द्वारा मूल याचिका के अंतर्गत ''विचार नहीं किया गया'' से है।

वार्षिक राभाप्रेके के प्रभारों का आवंटन

1.63 मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु 9229 मेगावाट की पारेषण प्रणाली क्षमता (विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, पीथमपुर को छोड़कर) आयोग के समक्ष दाखिल की गई है। वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु भी इसी पारेषण प्रणाली क्षमता को माना गया है। यहां यह उल्लेख भी किया जाता है कि एमपीपीटीसीएल द्वारा दायर किया गया क्षमता आवंटन राज्य शासन द्वारा दिनांक 16 जून, 2009 को अधिसूचित उत्पादन क्षमता के पुनर्आवंटन पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग ने अधिसूचना क्रमांक 4353–एफ–3–24– 2009–तेरह दिनांक 16 मई, 2011 के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध कुल उत्पादन क्षमता को राज्य की तीन विद्युत वितरण कंपनियों को निम्नानुसार पुनर्आवंटित कर दिया गया है :

विद्युत वितरण कंपनी का नाम	उत्पादन क्षमता का आवंटन
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	32.15%
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	37.33%
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	30.51%

1.64 मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम) 2006 के विनियम 11.2 के अनुसार, दीर्घ–अवधि अनुबंध करने वाले वैयक्तिक अनुज्ञप्तिधारियों तथा खुली पहुंच क्रेताओं हेतु राभाप्रेके प्रभारों का आवंटन आयोग द्वारा अवधारित कुल पारेषण क्षमता के अंशदान आवंटन के अनुपात में किया जाएगा। तदनुसार, वार्षिक राभाप्रेके प्रभारों की गणना निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :

तालिका 11 : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु दीर्घ–अवधि खुली पहुंच क्रेताओं हेतु वार्षिक राभाप्रेके प्रभार

स. क्र.	विवरण	दीर्घ अवधि खुली पहुंच क्रेता				योग
		पूर्व क्षेत्र विविकं	पश्चिम क्षेत्र विविकं	मध्य क्षेत्र विविकं	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, इंदौर	
1	वार्षिक राभाप्रेके प्रभारों का योग (लाख रूपये में)					652.07
2	पारेषण क्षमता का दीर्घ अवधि आवंटन (मेगावाट में) (पारेषण बहुवर्षीय आदेश दिनांक 11.1.2010 के अनुसार)	2816	3445	2968	12	9241
3	दीर्घ–अवधि खुली पहुंच क्रेताओं द्वारा भुगतान योग्य वार्षिक राभाप्रेके प्रभारों की राशि (लाख रूपये में)	198.68	243.18	209.36	0.85	652.07
4	दीर्घ–अवधि खुली पहुंच क्रेताओं द्वारा भुगतान योग्य वार्षिक राभाप्रेके प्रभारों की राशि (रूपये / मेगावाट में)					7056.27

शुल्क तथा प्रभारों की संक्षेपिका

1.65 मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण–प्रथम), 2006 के विनियम 12.5 के अनुसार यदि वर्तमान में लागू शुल्क तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्वों तथा आगामी वित्तीय वर्ष की राजस्व आवश्यकता के मध्य कोई राजस्व अंतर परिलक्षित हो तो ऐसी दशा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र एक प्रस्ताव भी समाहित किया जाएगा जिसमें यह प्रस्तावित किया जाएगा कि उनके द्वारा राजस्व अंतर को किस प्रकार घटाया जाएगा। यह माना गया है कि शुल्क तथा प्रभारों का विद्यमान स्तर राभाप्रेके के वार्षिक व्ययों की आपूर्ति हेतु पर्याप्त होगा। निम्न तालिका राभाप्रेके की सेवाओं के उपयोग हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित भार तथा प्रभारों को सारबद्ध करती है :

तालिका 12 : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विभिन्न राभाप्रके शुल्कों व प्रभारों की प्रयोज्यता एवं उद्ग्रहण

स. क्र.	निम्न हेतु प्रयोज्य शुल्क / प्रभार	अनुबंध के प्रकार के आधार पर क्रेता श्रेणी को प्रयोज्यता								
		दीर्घ अवधि			लघु अवधि			नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत		
		हां / नहीं	आवृत्ति (Frequency)	राशि रू.	हां / नहीं	आवृत्ति (Frequency)	राशि (रू.)	हां / नहीं	आवृत्ति (Frequency)	राशि (रू.)
1	संयोजन शुल्क	हां	एक बार	1,00,000	हां	एक माह हेतु एक बार में अथवा उसके अंश हेतु	5,000	हां	केवल एक बार भले वह दीर्घ अवधि अथवा लघु अवधि हो	5,000
		अतिरिक्त लघु अवधि खुली पहुंच हेतु कोई प्रभार देय नहीं होंगे								
2	वार्षिक	हां	दो अर्द्ध	7056.27 प्रति	नहीं	–	–	नहीं	–	–

स. क्र.	निम्न हेतु प्रयोज्य शुल्क/प्रभार	अनुबंध के प्रकार के आधार पर क्रेता श्रेणी को प्रयोज्यता								
		दीर्घ अवधि			लघु अवधि			नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत		
		हां/नहीं	आवृत्ति (Frequency)	राशि रू.	हां/नहीं	आवृत्ति (Frequency)	राशि (रू.)	हां/नहीं	आवृत्ति (Frequency)	राशि (रू.)
	राभाप्रेके प्रभार		वार्षिकी किस्तों में	मेगावाट, आवंटित पारेषण क्षमता का						
3	प्रचालन तथा अनुसूचीकरण	नहीं	–	–	हां	प्रति लेनदेन प्रतिदिवस अथवा उसके अंश हेतु	3000	नहीं	–	–
4	अनुसूची का पुनरीक्षण	हां	प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु	3000	हां	प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु	3000	नहीं	–	–

विविध (Miscellaneous)

विलंब भुगतान अधिभार (Late Payment Surcharge)

1.66 ऐसे प्रकरण में जहां राभाप्रेके शुल्क तथा प्रभारों के देयकों का भुगतान राभाप्रेके द्वारा इसकी प्रस्तुति दिनांक से 60 दिवस के बाद किया जाता है, तो ऐसी दशा में राभाप्रेके विलंब भुगतान अधिभार 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से, दैनिक आधार पर, राभाप्रेके द्वारा देयकों की प्रस्तुति दिनांक से अधिरोपित किया जाएगा।

शीघ्र भुगतान किये जाने पर छूट (Rebate on early payment)

1.67 राभाप्रेके के शुल्कों तथा प्रभारों पर भुगतान हेतु, 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, यदि देयकों का भुगतान राभाप्रेके द्वारा इनकी प्रस्तुति दिनांक से 7 दिवस के अंदर कर दिया जाता है तथा 1 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, यदि देयकों का भुगतान राभाप्रेके द्वारा बिल की प्रस्तुति दिनांक से एक माह के भीतर कर दिया जाता है।

सार्वजनिक आपत्तियां तथा याचिका पर टिप्पणियां

1.68 आयोग ने पत्र क्रमांक 1017 दिनांक 28.3.2011 द्वारा याचिकाकर्ता को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि याचिका की प्रतियां समस्त प्रतिवादियों को एक सप्ताह के अन्दर तामील कर दी जाएं । आयोग द्वारा इसी पत्र के माध्यम से समस्त प्रतिवेदकों अर्थात् मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल), नर्मदा हायड्रो–इलेक्ट्रिक डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (नघाविप्रा/एनवीडीए), मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल), म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (पूर्व क्षेविविकं), म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (मध्य क्षेविविकं), म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (पश्चिम क्षेविविकं) तथा म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (एसईजेड) से याचिका पर टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किये गये। आयोग द्वारा टिप्पणियां/सुझाव दिनांक

25.4.2011 तक प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश दिये गये तथा विषयांतर्गत प्रतिवादियों हेतु दिनांक 3.5.2011 की सुनवाई तिथि निर्धारित की गई।

1.69 निर्धारित तिथि तक किसी भी प्रतिवादी से विषय के संबंध में टिप्पणी प्राप्त नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने अपने पत्र क्रमांक 842 दिनांक 27.4.2011 द्वारा सूचित किया कि याचिका की प्रतियां समस्त प्रतिवादियों को पत्र क्रमांक एसई/एलडी : ईएण्डटी/645–आठ/807 दिनांक 8.12.2010 द्वारा तामील की जा चुकी है तथा राभाप्रेके द्वारा याचिका से संबंधित विषय पर कोई भी टिप्पणी/सुझाव दिनांक 26.4.2011 तक प्राप्त नहीं किये गये हैं।

1.70 तथापि, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (मप्रऔकेविनि) इंदौर द्वारा अपने शपथ पत्र दिनांक 26.4.2011 द्वारा अपना सुझाव/टिप्पणी निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत की गई। मप्रऔकेविनि द्वारा निम्नानुसार निवेदन किया गया है :

''प्रतिवेदक द्वारा एमपी ट्रेडको से लघु अवधि विद्युत (short- term power) का क्रय किया जा रहा है जिसके लिये उसे रू. 3000 प्रति दिवस की दर से भुगतान करना पड़ रहा है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा बड़ी संख्या में उपभोक्ता जिनमें तीन विद्युत वितरण कम्पनियां, विभिन्न विद्युत उत्पादक तथा बड़ी संख्या में खुली पहुंच उपभोक्ता (दीर्घ तथा लघु अवधि) भी शामिल है, के लिये विद्युत का अनुसूचीकरण किया जा रहा है, ये प्रभार लघु–अवधि खुली पहुंच उपभोक्ताओं के लिये कम कर दिये जाएं। इस कदम के माध्यम से खुली पहुंच क्रेता वैकल्पिक स्त्रोतों अर्थात् ऊर्जा विनिमय केन्द्रों (energy exchanges), व्यापारियों तथा विद्युत उत्पादकों आदि से विद्युत की प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित होंगे जो राज्य में विद्युत की कमी की समस्या के निराकरण में सहायक होगा।''

1.71 मप्रविनिआ के सुझाव को याचिकाकर्ता की ओर उनकी प्रतिक्रिया की प्राप्ति हेतु अग्रेषित किया गया। याचिकाकर्ता ने अपने पत्र क्रमांक 865दिनांक 29.4.2011 द्वारा अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। राभाप्रेके ने निवेदन किया है कि :

(i) *''मप्रविनिआ (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन तथा शर्तें), विनियम, 2005 के अनुसार तथा मा. आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित तथा निर्धारित अनुसूचीकरण तथा प्रणाली प्रचालन प्रभार रू. 3000 प्रति लेन–देन (transanction) प्रति दिवस की दर से अथवा इसके किसी अंश हेतु, राभाप्रेके हेतु राज्यान्तरिक लघु अवधि खुली पहुंच हेतु, राभाप्रेके द्वारा दावा किया जा रहा है।*

(ii) *प्रतिवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियों में दिये गये इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता द्वारा बड़ी संख्या में खुली पहुंच क्रेता, जिनमें तीन विद्युत वितरणकंपनियां, विभिन्न विद्युत उत्पादक तथा बड़ी संख्या में खुली पहुंच क्रेता (दीर्घ तथा लघु अवधि) शामिल हैं, निवेदन है कि दीर्घ–अवधि खुली पहुंच क्रेताओं हेतु, ये प्रभार लागू नहीं होते।*

(iii) *वर्तमान में केवल दो खुली पहुंच क्रेताओं द्वारा विद्युत का व्यापार राज्यांतरिक लघु अवधि खुली पहुंच व्यवस्था के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रतिवेदन का राभाप्रेके द्वारा*

अनुसूचीकरण तथा प्रचालन प्रभारों के संबंध में प्राप्त की जा रही अधिक राशि की प्राप्ति के बारे में कथन सही नहीं है।

(iv) प्रतिवेदक द्वारा अनुसूचीकरण तथा प्रचालन प्रभारों के संबंध में प्रस्तुत तर्क तथा खुली पहुंच क्रेताओं हेतु वैकल्पिक स्त्रोतों से विद्युत की प्राप्ति को प्रोत्साहित किये जाने का तात्पर्य स्पष्ट नहीं है क्योंकि अनुसूचीकरण तथा प्रचालन प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण खुली पहुंच क्रेताओं का वैकल्पिक स्त्रोंतों से अर्थात ऊर्जा विनिमय केन्द्रों, व्यापारियों तथा विद्युत उत्पादकों से राज्य में विद्युत की कमी की समस्या के निराकरण हेतु विद्युत प्राप्त किये जाने हेतु प्रतिबंधित नहीं करता।

(v) निवेदन है कि राज्य का विद्युत नेटवर्क काफी जटिल है जिसके अंतर्गत वृहद पारेषण तथा वितरण प्रणालियां विभिन्न स्तरों, यथा 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी आदि पर संचालित की जा रही है। राभाप्रेके हेतु अनुसूचीकरण तथा प्रचालन प्रभार मा. आयोग द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा राभाप्रके की भूमिका विद्युत के अनुसूचीकरण तथा प्रणाली मानदण्डों पर निरंतर दृष्टि रखने में सन्निहित है ताकि प्रणाली को भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा मप्र विद्युत ग्रिड संहिता मानकों के अनुरूप सुरक्षित प्रचालन सीमाओं के अंतर्गत संचालित किया जा सके। अतएव, मा. आयोग द्वारा निर्धारित किये गये अनुसूचीकरण प्रभार अत्यधिक युक्तिसंगत तथा न्यायोचित हैं।

(vi) याचिकाकर्ता सविनय वित्तीय वर्ष 11–12 हेतु रू. 3000 के अनुसूचीकरण तथा संचालन प्रभारों को जारी रखे जाने की प्रार्थना करता है।''

1.72 आयोग ने मप्रऔकेविनि के सुझाव तथा याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया पर विचार किया है। आयोग द्वारा जांच करने पर पाया गया कि रू. 3000 प्रति लेनदेन (transaction) प्रति दिवस के प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभार वित्तीय वर्ष 2006–07 से प्रचलन में हैं। आयोग द्वारा "Manpower, certification and incentives for system operation & Ring fencing of LDCs" अर्थात् मानव संसाधन, प्रमाणीकरण तथा प्रणाली संचालन हेतु प्रोत्साहन तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु स्वतंत्र इकाई हेतु भारत सरकार विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने भी भार प्रेषण केन्द्रों को आत्म निर्भर बनाने पर जोर दिया है। आयोग द्वारा अपने विनियमों पर भी विचार किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि ''लघु अवधि क्रेताओं से प्रचालन एवं अनुसूचीकरण संबंधी प्रभारों का 50 प्रतिशत भाग राभाप्रेके द्वारा राभाप्रेके पर अधोसंरचना विकास के पूंजीगत व्यय हेतु धारित रखा जाएगा।'' समस्त मुद्दों पर ध्यान पूर्वक विचारोपरांत, आयोग ने निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू. 3000 प्रति लेनदेन (transaction) प्रति दिवस अथवा उसके अंश के प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभार उचित हैं।

1.73 आयोग द्वारा राभाप्रेके की टैरिफ याचिका पर सुनवाई का आयोजन दिनांक 3.5.2011 को आयोग कार्यालय में किया गया। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के प्रतिनिधियों द्वारा याचिका के संबंध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किये गये। म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी भोपाल तथा म.प्र. पूर्व

क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर की ओर से उपस्थित उनके प्रतिनिधियों द्वारा निवेदन किया गया कि राभाप्रेके द्वारा दायर की गई याचिका के संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। आयोग द्वारा वास्तविक रूप से किये गये पूंजीगत व्यय के संबंध में संयोजन शुल्क/आवेदन शुल्क तथा पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभारों की प्राप्ति के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहे गये तथा याचिकाकर्ता को सुनवाई के दौरान चर्चित विषयों के बारे में जानकारी दाखिल किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। इनके संबंध में इस आदेश के सुसंगत भाग में चर्चा की गई है।

अध्याय 2
आयोग के दिशा–निर्देश

2.1 आयोग द्वारा म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्रों की प्रणाली के संचालन हेतु गठित कमेटी द्वारा जनशक्ति, प्रमाणीकरण, तथा प्रोत्साहन तथा स्वायत्तता प्रदान करने (ring fencing) से संबंधित अनुशंसाओं के संबंध में परिपालन किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं।

2.2 हस्ताक्षरित दिनांकित तथा प्रमाणित वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र, वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु राभाप्रेके का तुलन–पत्र (बैलेंसशीट), लाभ तथा हानि लेखा को सम्मिलित करते हुए, आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु राभाप्रेके प्रभारों संबंधी याचिका के साथ प्रस्तुत किये जाएं। वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र तैयार किये जाने हेतु इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया (ICAI) द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये लेखांकन मानको का अनुसरण किया जाए तथा इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया (ICAI) द्वारा समय–समय पर अधिसूचित नियमों के अनुसार तैयार किये जाएं।

2.3 आयोग राभाप्रेके को राजस्व अंतर, यदि कोई हो, को कम किये जाने के संबंध में वित्तीय वर्ष 2012–13 की याचिका के साथ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश देता है।

2.4 आयोग राभाप्रेके को पूंजीगत व्यय कार्यों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण किये जाने के निर्देश प्रदान करता है तथा पूंजीगत व्यय के संबंध में अध्याय में उठाये गये मुद्दों के पूर्ण विवरणों के साथ आगामी याचिका के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश देता है।

2.5 आयोग, राभाप्रेके को मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम), 2006 के विनियम 10 की अर्हता के अनुसार, वर्ष 2007–08 से किये गये वास्तविक व्यय पूंजीगत व्यय हेतु हेतु पृथक लेखा विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश देता है।

2.6 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्राप्त किये जा रहे प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों, संयोजन प्रभारों तथा प्रक्रियाबद्ध किये जाने संबंधी शुल्क में से पूंजीगत व्यय हेतु अंकित की गई निधि से अर्जित ब्याज के संबंध में विवरण आगामी वर्ष की याचिका के साथ आयोग को पूर्ण विवरणों सहित, प्रस्तुत किये जाएं।

2.7 राभाप्रेके द्वारा उप–राभाप्रेके के वर्षवार विवरण उक्त वर्ष का उल्लेख करते हुए, जिसके अंतर्गत वे व्यय एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड से राभाप्रेके लेखों में पृथक किये गये हैं, प्रस्तुत किये जाएं । वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु राभाप्रेके द्वारा शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण हेतु याचिका दायर किये जाने से पूर्व एमपीपीटीसीएल के सक्षम अधिकारी का एक प्रमाण पत्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

———————